SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में

2022-23

हरियाणा सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2022-23

प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)
हरियाणा

प्रस्तावना

वर्ष 2022-23 के 'लेखे एक दृष्टि में' के हमारे इस वार्षिक प्रकाशन के पच्चीसवें संस्करण को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है जो सरकारी कार्यकलापों जैसा कि वित्त लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं में प्रदर्शित हैं, को व्यापक अधिदृष्टि प्रदान करता है।

वित्त लेखे, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा की संक्षिप्त विवरणियां हैं। विनियोग लेखे राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अनुदानवार व्यय को दर्शाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रदत्त-निधियों के बीच अन्तरों की व्याख्या करते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुरूप, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अधीन, मेरे कार्यालय द्वारा वार्षिक वित्त तथा विनियोग लेखाओं को राज्य-विधायिका के पटल पर रखे जाने हेतु तैयार किया जाता है।

हमें पाठकों की प्रतिक्रिया, जिस से संस्करण को उत्कृष्ट बनाने में सहायता मिलेगी, की प्रतीक्षा रहेगी।

नवनीत

दिनांकः 30 नवम्बर 2023
स्थानः चण्डीगढ़

(नवनीत गुप्ता)
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
हरियाणा

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य तथा आन्तरिक मूल्य

दृष्टिकोण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षण एवं लेखांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पद्धतियों की पहल तथा विश्वव्यापी नेतृत्व की ओर हम सतत् अग्रसर हैं तथा लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित तथा समयबद्ध प्रतिवेदन हेतु जाने जाते हैं।

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता है तथा हमारे आज किए जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणात्मक लेखा-परीक्षण तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सुशासन को प्रोन्नत करते हैं तथा अपने पणधारियों:

विधायिका, कार्यपालिका तथा जनता,

को इस बात का स्वतंत्र आश्वासन देते हैं कि लोक-निधियों को दक्षतापूर्वक एवं अपेक्षित उद्देश्यों हेतु ही उपयोग किया जा रहा है।

आन्तरिक मूल्य

हमारे आन्तरिक मूल्य हमारे समस्त कार्यकलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आंकलन हेतु निर्देश चिन्ह प्रदान करते हैं।

- स्वतंत्रता
- वस्तुनिष्ठता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यावसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अध्याय I	**अधिदृष्टि**	
1.1	भूमिका	1
1.2	सरकारी लेखाओं की संरचना	2
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	4
1.4	निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग	6
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005	9
अध्याय II	**प्राप्तियाँ**	
2.1	भूमिका	12
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	12
2.3	कर-राजस्व	14
2.4	कर संग्रहण पर लागत	17
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश में पिछले पाँच वर्षों के रूझान	17
2.6	सहायतानुदान	18
2.7	लोक ऋण	19
अध्याय III	**व्यय**	
3.1	भूमिका	20
3.2	राजस्व व्यय	20
3.3	पूंजीगत व्यय	24
अध्याय IV	**विनियोग लेखे**	
4.1	वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखाओं का सारांश	27
4.2	विगत पाँच वर्षों मे बचत/आधिक्य के रूझान	27
4.3	महत्वपूर्ण बचतें	28

पृष्ठ संख्या

अध्याय V	**परिसम्पत्तियाँ तथा दायित्व**	
5.1	परिसम्पत्तियाँ	31
5.2	ऋण तथा दायित्व	32
5.3	गारंटियाँ	33
अध्याय VI	**अन्य मदें**	
6.1	आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष	34
6.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम	34
6.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तिय सहायता	34
6.4	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश	36
6.5	प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान	36
6.6	लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों द्वारा लेखों का प्रेषण	36
6.7	असमायोजित सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिल	36
6.8	उचंत तथा प्रेषण शेष	37
6.9	सहायतानुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू. सी.) प्राप्त न होना	37
6.10	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.)	38
6.11	व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खातों को धन का हस्तांतरण	38
6.12	आरक्षित निधियों की स्थिति	39

अध्याय-I

अधिदृष्टि

1.1 भूमिका

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रेषित लेखा सामग्री को संग्रहित, वर्गीकृत एवं संकलित करके हरियाणा सरकार के लेखे तैयार करने का कार्य करता है। यह संकलन, 24 कोषालयों, 117 लोक निर्माण मण्डलों (59 भवन तथा सडकें, 58 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी), 40 वन मण्डलों, 86 सिंचाई मण्डलों, 38 वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा प्रेषित किए गए प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रेषित संज्ञापनों से किया जाता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा हरियाणा सरकार के समक्ष प्रतिमाह एक मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सरकार के महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों एवं व्यय की गुणवता के बारे में त्रैमासिक मूल्यांकन टिप्पणी भी प्रस्तुत की जाती है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे भी तैयार करता है जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षण करने तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जाने के पश्चात, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाता है।

1.2 सरकारी लेखाओं की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है:

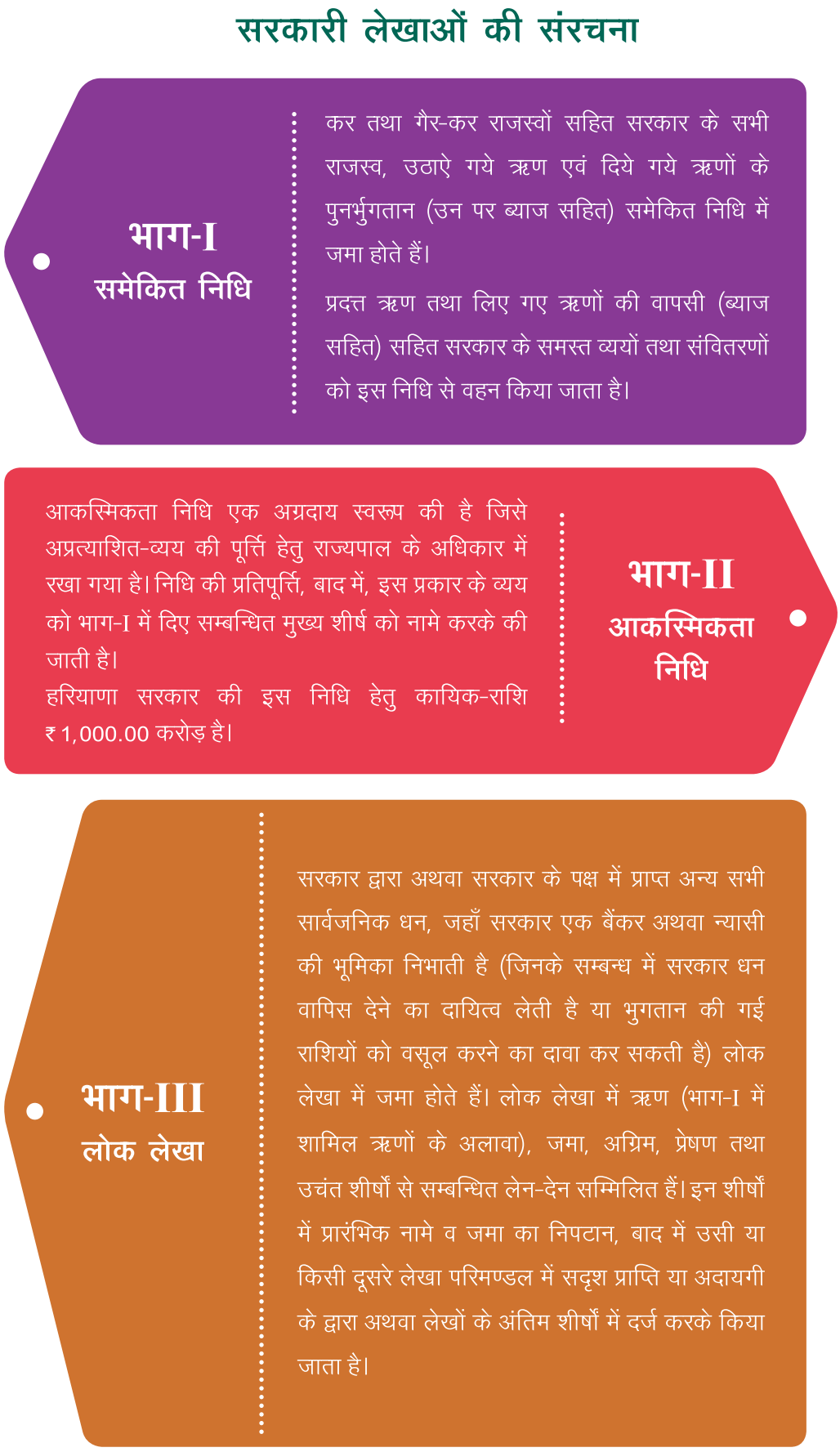

1.2.2 लेखाओं का संकलन

लेखे संकलन हेतु प्रवाह आरेख

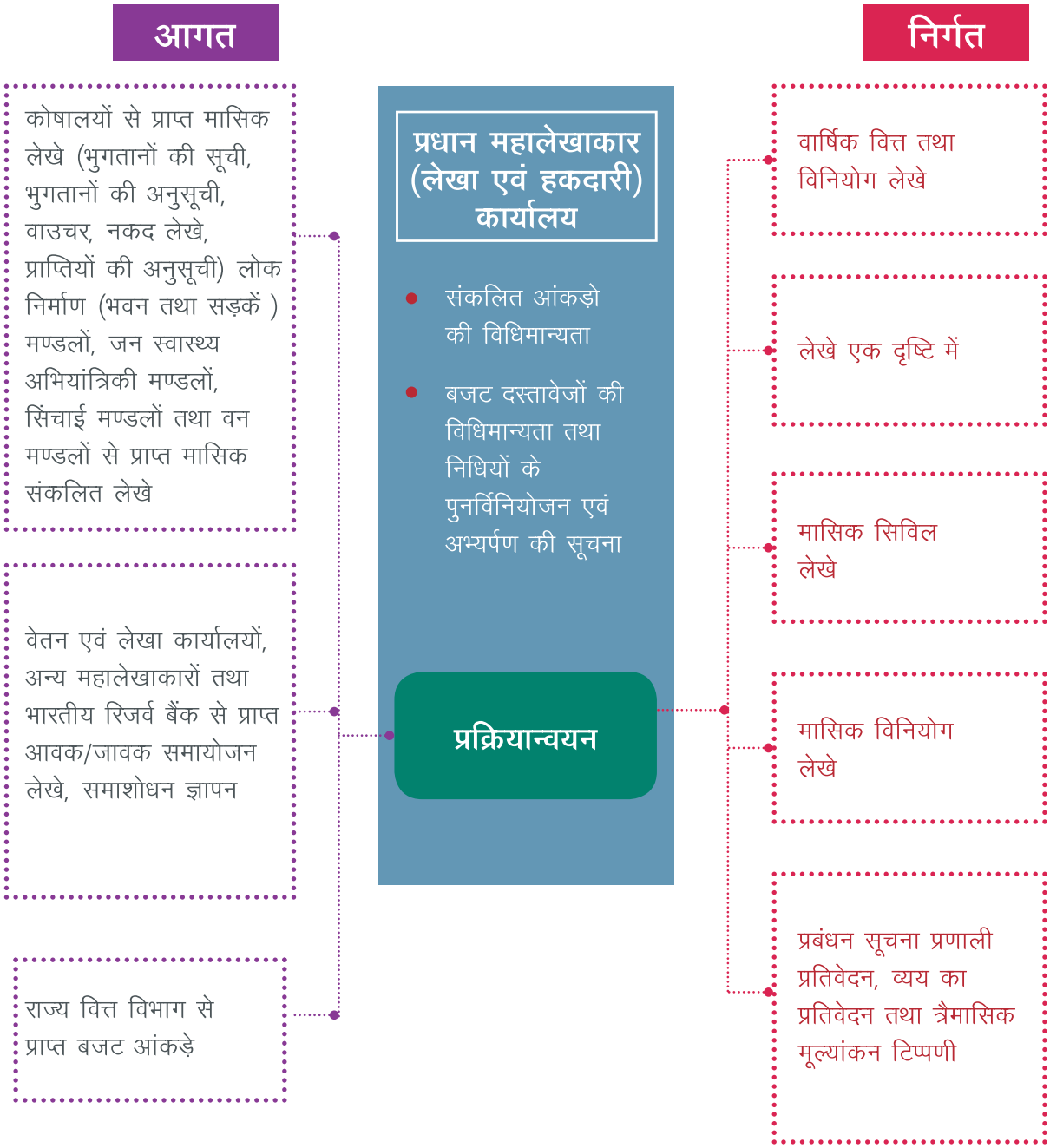

1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखाओं में, लेखाओं में अभिलेखित, राजस्व तथा पूँजीगत लेखाओं, लोक ऋण तथा लोक-लेखा शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ-साथ, उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियाँ तथा संवितरण इंगित किये जाते हैं। वित्त लेखे को दो खण्डों में तैयार किया जाता है। वित्त लेखे के खण्ड-I में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, वित्त लेखाओं की मार्गदर्शिका, चालू वित्त वर्ष की सकल वित्तीय स्थिति/प्राप्तियों तथा संवितरणों की 13 संक्षिप्त विवरणियाँ एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों, लेखाओं तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ' सम्मिलित हैं। खण्ड-II में, 9 विस्तृत विवरणियाँ (भाग- I) तथा 13 परिशिष्ट (भाग- II) सम्मिलित हैं।

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने हेतु, राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर सरकारी संगठनों को पर्याप्त निधियों का प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण करती है। महालेखानियंत्रक के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत सरकार ने, हरियाणा के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर ₹ 14,423 करोड़ की राशि जारी की। क्योंकि ये निधियाँ राज्य सरकार के बजट के माध्यम से नहीं आई, इन्हें राज्य सरकार के लेखाओं में नहीं दर्शाया गया है। इन अन्तरणों को वित्त लेखे के खण्ड- II के परिशिष्ट- VI में प्रदर्शित किया गया है।

1.3.2 वर्ष 2022-23 की वित्तीय झलकियाँ

वर्ष 2022-23 के वास्तविक वित्तीय परिणामों तथा बजट अनुमानों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

क्रम संख्या	घटक	बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	वास्तविक आंकड़े (₹ करोड़ में)	वास्तविक आंकड़ों की बजट अनुमानों से प्रतिशतता	वास्तविक आंकड़ों की जी.एस.डी.पी. से प्रतिशतता(ग)
1.	कर राजस्व (संघीय भाग सहित) (क)	82,653	73,339	89	7
2.	गैर कर राजस्व	12,205	8,743	72	1
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	11,566	7,113	62	1
4.	*राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)*	1,06,424	89,195	84	9
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	767	238	31	..*
6.	अन्य प्राप्तियाँ	5,394	74	1	..*
7.	उधारी एवं अन्य दायित्व (ख)	29,618	31,026	105	3
8.	*पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)*	35,779	31,338	88	3
9.	*कुल प्राप्तियाँ (4+8)*	1,42,203	1,20,533	85	12
10.	*राजस्व व्यय*	1,22,443	1,06,406	87	11
11.	ब्याज अदायगियों पर व्यय (राजस्व व्यय में से)	20,995	20,096	96	2
12.	*पूँजीगत व्यय*	23,072	11,665	51	1
13.	*ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण*	3,833	2,462	64	..*
14.	*कुल व्यय (10+12+13)*	1,49,348	1,20,533	81	12
15.	*राजस्व आधिक्य (+)/ घाटा (-) (4-10)*	(-) 16,019	(-) 17,211	107	2
16.	*राजकोषीय घाटा (4+5+6-14)*	(-) 36,763	(-) 31,026	84	3
17.	*प्राथमिक घाटा (11+16)*	(-) 15,768	(-) 10,930	69	1

(क) इसमें राज्य सरकार को नियत ₹ 10,378 करोड़ का निवल (कर) प्राप्तियों का भाग शामिल है (राज्य सरकार की अपनी कर प्राप्तियाँ ₹ 62,961 करोड. थी जो कि जी. एस. डी. पी. का 6 प्रतिशत थी)।

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः लोक ऋण की निवल राशि (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल आकस्मिकता निधि + लोक लेखा की निवल राशि (प्राप्तियाँ - संवितरण) + रोकड़ के आरंभिक व अंतिम शेष का निवल।

(ग) सकल राज्य घरेलु उत्पाद आंकड़े (₹ 9,94,154 करोड़) वर्तमान दरों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार अर्थ तथा साख्यांकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सरकार से लिए गये हैं तथा यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

* *प्रतिशतता न के बराबर है इसलिए इसे .. से दर्शाया गया है।*

वर्ष 2022-23 की प्राप्तियाँ व संवितरण

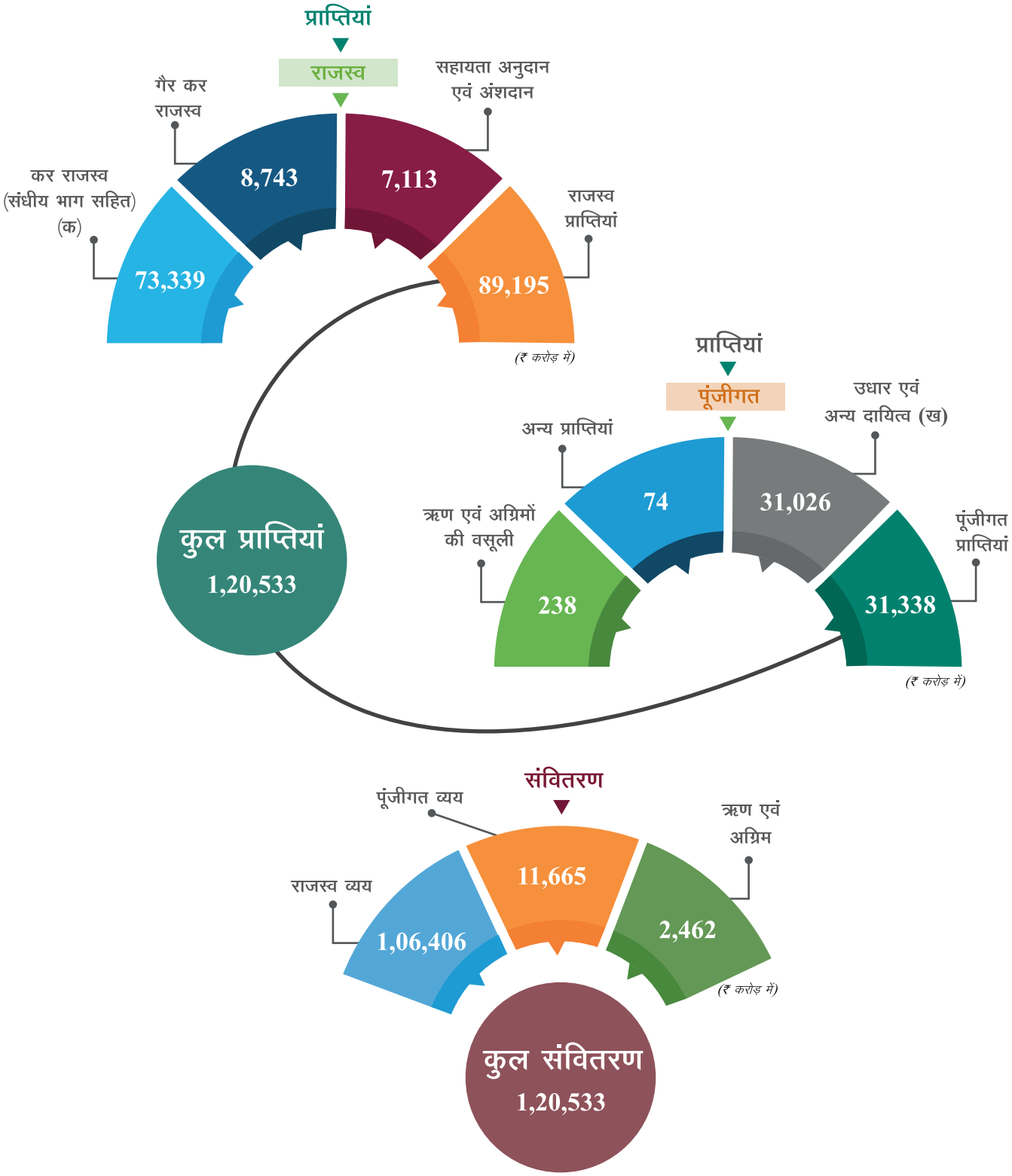

(क) इसमें राज्य सरकार को नियत ₹ 10,378 करोड़ का निवल (कर) प्राप्तियों का भाग शामिल है (राज्य सरकार की अपनी कर प्राप्तियाँ ₹ 62,961 करोड. थी जो कि जी. एस. डी. पी. का 6 प्रतिशत थी)।

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः लोक ऋण की निवल राशि (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल आकस्मिकता निधि + लोक लेखा की निवल राशि (प्राप्तियाँ - संवितरण) + रोकड़ के आरंभिक व अंतिम शेष का निवल।

1.3.3 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखों के अनुपूरक हैं तथा दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों के प्रति व्यय की तुलना प्रस्तुत करते हैं। समेकित निधि से, भारत के संविधान में निहित विधि एवं उद्देश्य तथा विधान मण्डल के प्राधिकरण के अतिरिक्त, कोई धन आहरित नहीं किया जा सकता। कुछ व्यय (जैसे संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋणों की पुनर्दायगियों इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होते हैं एवं विधान मण्डल के अनुमोदन के विषय नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान मण्डल द्वारा पारित किए जाते हैं। हरियाणा के बजट में 20 दत्तमत अनुदान/प्रभारित विनियोजन हैं।

1.3.4 बजट अनुमानों की कार्य कुशलता

वर्ष के अन्त में, विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट के मुकाबले हरियाणा सरकार के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत, ₹ 35,821.82 करोड़ (₹ 2,21,110.07 करोड़ के बजट अनुमानों का 16.20 *प्रतिशत*) की सकल बचत दर्शायी गई। इसके अलावा, लेखों में व्यय की कटौती में समायोजित की गई वसूलियां भी ₹ 6,440.21 करोड़ (₹ 18,173.95 करोड़ के बजट अनुमानों का 35.44 प्रतिशत) अधिक अनुमानित थी। नगर विकास/स्थानीय शासन/ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास/लोक-स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति, खाद्य एवं पूर्ति/सहकारिता, शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/महिला तथा बाल विकास तथा सिंचाई/उद्योग/ऊर्जा तथा विद्युत से सम्बन्धित कुछ अनुदानों के अर्न्तगत प्रचुर बचतें प्रदर्शित की गई हैं।

1.4 निधियों के स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 1.14 करोड़) में कमी को पूरा करके तरलता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, हरियाणा सरकार ने ₹ 21,068.58 करोड़ की राशि (इक्यानवें बार) अर्थोपाय अग्रिम के तौर पर ली हालांकि इसे वर्ष के दौरान वापिस कर दिया, अतः वर्ष के अन्त में शेष शून्य था।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 1.14 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम (₹ 1,464 करोड़ तक) लेने के बावजूद यदि कमी बनी रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष लिया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य ने कुल ₹ 65.66 करोड़ (तीन बार) का अधिविकर्ष लिया, हालांकि इसे वर्ष के दौरान वापिस कर दिया, अतः वर्ष के अन्त में शेष शून्य था।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरणी

वर्ष 2022-23 में राज्य का राजस्व-घाटा ₹ 17,211 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹ 31,026 करोड़ था। राजकोषीय घाटे की पूर्ति, निवल लोक ऋण (₹ 27,628 करोड़), लोक लेखा में बढौतरी (₹ 3,053 करोड़) तथा नगद शेष में कमी ₹ 345 करोड़) द्वारा की गई। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 89,195 करोड़) का लगभग 65 *प्रतिशत,* वेतन (₹ 25,446 करोड़) ब्याज-अदायगियाँ (₹ 20,096 करोड़) तथा पेंशन (₹ 12,404 करोड़) जैसे प्रतिबद्ध-व्ययों पर खर्च हुआ।

निधियों के स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
01 अप्रैल 2022 को आरंभिक रोकड़ शेष	(-)371
राजस्व प्राप्तियाँ	89,195
पूँजीगत प्राप्तियाँ	74
ऋणों व अग्रिमों की वसूली	238
लोक ऋण	80,649
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	3,620
आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ	1,801
जमा प्राप्तियाँ	52,493
सिविल अग्रिमों का पुनर्भुगतान	..
उचन्त लेखे	67,589*
प्रेषण	10,451
आकस्मिकता निधि	..
जोड़	3,05,740**

राजस्व व्यय	1,06,406
पूँजीगत व्यय	11,665
प्रदत्त ऋण	2,462
लोक ऋणों का पुनर्भुगतान	53,021
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	..
लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	3,351
आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ	912
जमा का पुनर्भुगतान	52,108
प्रदत्त सिविल अग्रिम	..
उचन्त लेखे	66,117***
प्रेषण	10,414
31 मार्च 2023 को अन्तिम रोकड़ शेष	(-)716
जोड़	3,05,740

* ₹ 65,834 करोड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा के सम्मिलित है।

** जोड़ से ₹ 1 करोड़ का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

*** ₹ 64,547 करोड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा के सम्मिलित है।

1.4.4 ₹ कहाँ से आया ?

वास्तविक प्राप्तियाँ

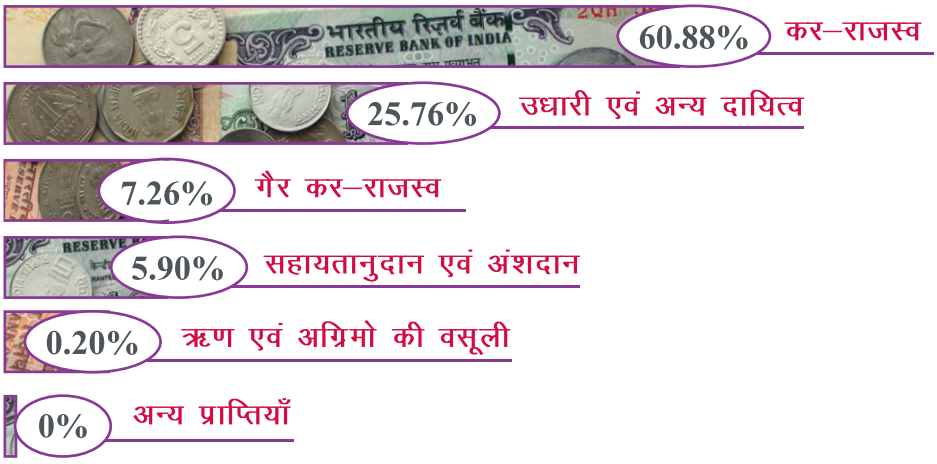

(अन्य प्राप्तियों की राशि न के बराबर थी अतःशून्य दर्शायी गयी है)

1.4.5 ₹ कहाँ गया ?

वास्तविक व्यय

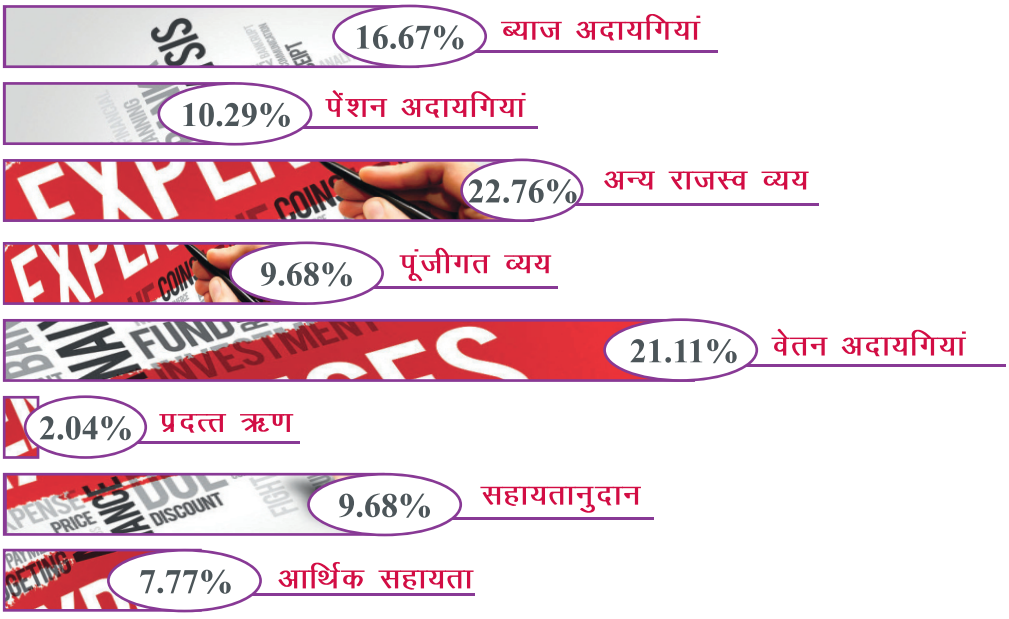

वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 17,211 करोड़ का राजस्व घाटा (वर्ष 2021-22 में ₹ 20,333 करोड़) तथा ₹ 31,026 करोड़ का राजकोषीय घाटा (वर्ष 2021-22 में ₹ 31,778 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 1.73 *प्रतिशत* तथा 3.12 *प्रतिशत* है। राजकोषीय घाटा सकल व्यय का 25.74 *प्रतिशत* रहा।

घाटा तथा आधिक्य क्या इंगित करते हैं ?

घाटा

राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्त पोषण कैसे हो तथा निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय-प्रबन्धन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण संकेतक है।

राजस्व घाटा / आधिक्य

राजस्व प्राप्तियाँ तथा राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। राजस्व व्यय की आवश्यकता सरकार की वर्तमान स्थापना के रख-रखाव हेतु होती है तथा आदर्श स्वरूप, इसे राजस्व प्राप्तियों से ही पूर्णतया वहन किया जाना चाहिये।

राजकोषीय घाटा /आधिक्य

सकल प्राप्तियों (उधारियों के बिना) तथा सकल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। इसलिए, यह अन्तर इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त-पोषित किया गया और आदर्श स्वरूप इसे पूँजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005

घाटा संकेतक, राजस्व संवर्धन तथा व्यय प्रबंधन सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन का आंकलन करने के मुख्य मापदण्ड हैं। हरियाणा सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 को लागू किया है। हरियाणा एफ.आर.बी.एम.(संशोधन) अधिनियम, 2022 के अनुसार राज्य सरकार केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उस विशेष वर्ष में प्रचलित जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित लक्ष्य तथा लेखों में दर्शाए अनुसार, वर्ष 2022-23 में उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं :

क्रम संख्या	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जी.एस.डी.पी. का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1	राजस्व आधिक्य (+)/ घाटा (-)	(-) 17,211	(+) 0.80	(-) 1.73 (लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ)
2	राजकोषीय घाटा	31,026	3.50 या कम	3.12 (लक्ष्य प्राप्त किया गया)
3	परादेय ऋण**	2,93,122	31.40 या कम	29.48 (लक्ष्य प्राप्त किया गया)

* *सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े (₹ 9,94,154 करोड़) वर्तमान दरों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सरकार से लिए गये तथा यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।*

** *परादेय ऋण में सभी ऋण तथा अन्य दायित्व शामिल हैं परन्तु भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ.न. 40(1)पी.एफ.-एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 के अनुसार, इस ऋण में जी.एस.टी. मुआवजे की कमी के एवज में बैक टू बैक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 11,746 करोड़ शामिल नही हैं।*

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 की धारा 5 के अनुसार, हरियाणा सरकार ने 2022-23 के राज्य के बजट के साथ मध्यम अवधि की वित्तीय नीति तथा रणनीति विवरणी को प्रस्तुत किया।

राजस्व घाटा वर्ष 2021-22 में ₹ 20,333 करोड़ से घटकर वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 17,211 करोड़ रह गया जोकि जी.एस.डी.पी. का 1.73 प्रतिशत था और इस प्रकार पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के लक्ष्यों के अनुरूप नही था। वर्ष 2021-22 में ₹ 31,778 करोड़ के राजकोषीय घाटे में ₹ 752 करोड़ की कमी के कारण, चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा ₹ 31,026 करोड़ रहा और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.12 *प्रतिशत* था जो कि विनिर्दिष्ट वित्तीय लक्ष्यों की पुष्टि करता है। वर्ष 2022-23 तक परादेय ऋण (दायित्वों सहित) को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 31.40 *प्रतिशत* तक कम करने की पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुकाबले 31 मार्च 2023 को परादेय ऋण (अन्य दायित्वों सहित) ₹ 2,93,122 करोड़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.48 *प्रतिशत* है।

1.5.1 राजस्व घाटे/आधिक्य के रूझान

राजस्व घाटे/आधिक्य के रूझान

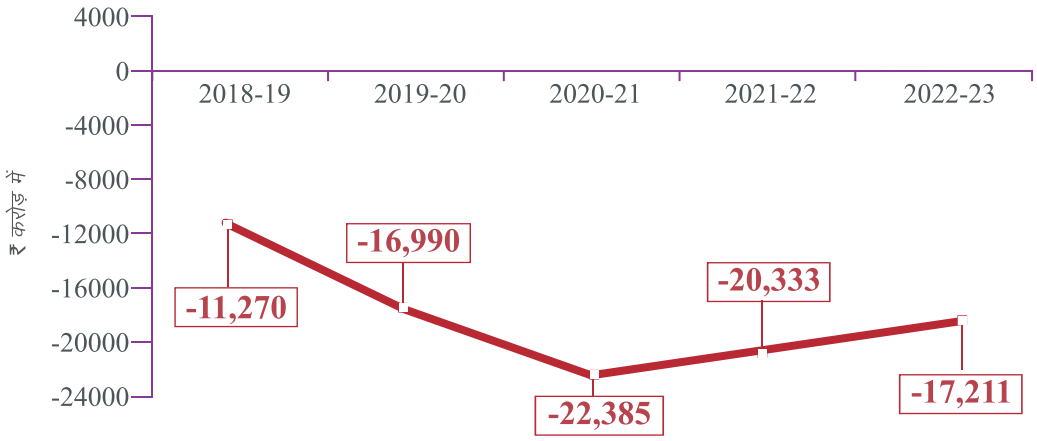

1.5.2 राजकोषीय घाटे के रूझान

राजकोषीय घाटे के रूझान

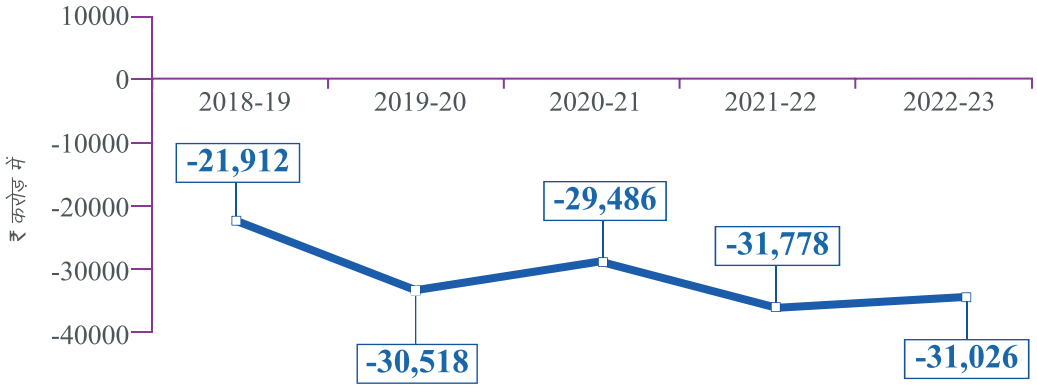

1.5.3 उधार निधि से पूँजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूँजीगत व्यय	पूँजीगत व्यय की उधार निधि से प्रतिशतता
2018-19	34,265	15,307	45
2019-20	44,432	17,666	40
2020-21	53,817	5,870	11
2021-22	55,106	11,046	20
2022-23	80,649	11,665	14

उधार निधि से पूंजीगत व्यय की तुलना

(₹ करोड़ में)

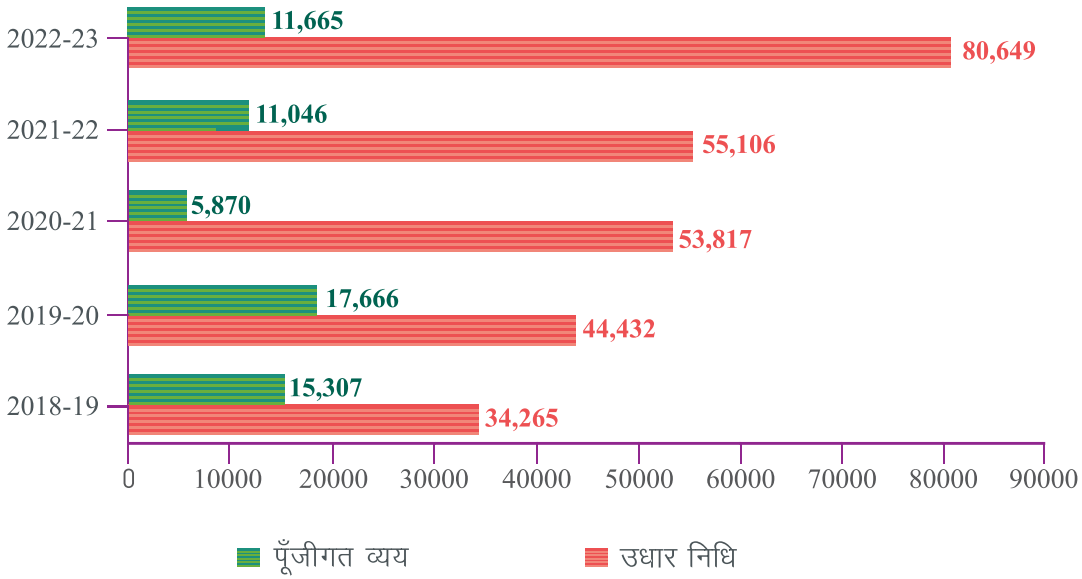

सामान्यतः सरकार राजकोषीय घाटे पर चलती है तथा पूँजीगत/परिसम्पतियाँ बनाने के लिए तथा आर्थिक व सामाजिक ढ़ाँचे के निर्माण के लिए ऋण लेती है ताकि उधारी द्वारा निर्मित परिसम्पतियाँ अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर अदायगी कर सकें। इस प्रकार पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु उधारी के पूर्णतया उपयोग तथा मूलधन एवं ब्याज की वापसी हेतु राजस्व-प्राप्तियों का इस्तेमाल अपेक्षित है। परन्तु राज्य सरकार चालू वर्ष में उधारी (₹ 80,649 करोड़) का केवल 14 *प्रतिशत* पूँजीगत व्यय (₹ 11,665 करोड़) पर तथा 3 *प्रतिशत*, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण तथा अग्रिमों (₹ 2,462 करोड़) पर खर्च कर पाई। अतः यह प्रतीत होता है कि लोक ऋण में उधारी का 83 *प्रतिशत* (₹ 66,522 करोड़), पिछले वर्षों के लोक ऋण के मूलधन (₹ 53,021 करोड़) और ब्याज अंश के पुर्नभुगतान तथा चालू वर्ष में व्यय के प्रति राजस्व की आवधिक कमी को पूरा करने हेतु, उपयोग किया गया।

अध्याय-II

प्राप्तियाँ

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूँजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,20,533 करोड़ थी ।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं : कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार से प्राप्त सहायतानुदान।

कर-राजस्व — राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर तथा संविधान की धारा 280 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा सम्मिलित है।

गैर कर-राजस्व — ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि सम्मिलित होते हैं।

सहायतानुदान — सहायतानुदान, संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय-सहायता को अभिव्यक्त करते हैं। इसमें विदेशी सरकारों से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से जारी ''वाह्य सहायतानुदान'' तथा ''सहायता, सहायता-सामग्री व उपकरण'' भी शामिल हैं। बदले में, राज्य-सरकार भी पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों इत्यादि संस्थानों को सहायतानुदान देती है।

राजस्व-प्राप्तियाँ

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2022-23)

घटक		वास्तविक आंकडे (₹ करोड़ में)	कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता
क.	*कर-राजस्व*	**73,339**	**82**
	वस्तु तथा सेवा कर	31,509	35
	आय व व्यय पर कर	6,876	8
	सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर कर	8,630	10
	वस्तुओं व सेवाओं पर कर	26,324	29
ख.	*गैर कर-राजस्व*	**8,743**	**10**
	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	1,656	2
	सामान्य सेवाएँ	448	..
	सामाजिक सेवाएँ	2,620	3
	आर्थिक सेवाएँ	4,019	5
ग.	*सहायतानुदान एवं अंशदान*	**7,113**	**8**
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	**89,195**	**100**

** इसमें भारत सरकार से प्राप्त राज्य का निवल आगम का भाग सम्मिलित है ।*

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों के रूझान

(₹ करोड़ में)

घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कर-राजस्व (राज्य द्वारा संग्रहित)	42,581 (6)	42,825 (5)	41,914 (5)	53,377 (6)	62,961 (6)
संघ के करों/शुल्कों में राज्य का हिस्सा	8,255 (1)	7,111 (1)	6,437 (1)	9,722 (1)	10,378 (1)
गैर कर-राजस्व	7,976 (1)	7,400 (1)	6,962 (1)	7,394 (1)	8,743 (1)
सहायतानुदान	7,073 (1)	10,522 (1)	12,248 (2)	7,598 (1)	7,113 (1)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	**65,885 (9)**	**67,858 (8)**	**67,561 (9)**	**78,091 (9)**	**89,195 (9)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**7,07,126**	**8,31,610**	**7,64,872**	**8,95,671**	**9,94,154**

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।
सभी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े वर्तमान दरों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा सूचित किए गए है।

हांलाकि वर्ष 2022-23 में, पिछले वर्ष के मुकाबले, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.00 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी हुई परन्तु राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि केवल 14.22 *प्रतिशत* थी। पिछले वर्ष के मुकाबले, कुल कर-राजस्व (संघीय करों के हिस्से सहित) 16.23 *प्रतिशत* तक बढ़ा जबकि गैर कर-राजस्वों में 18.24 *प्रतिशत* तक की बढ़ोतरी देखी गयी परन्तु सहायतानुदान में 6.38 *प्रतिशत* की कमी हुई।

राजस्व प्राप्तियों के घटकों के रूझान

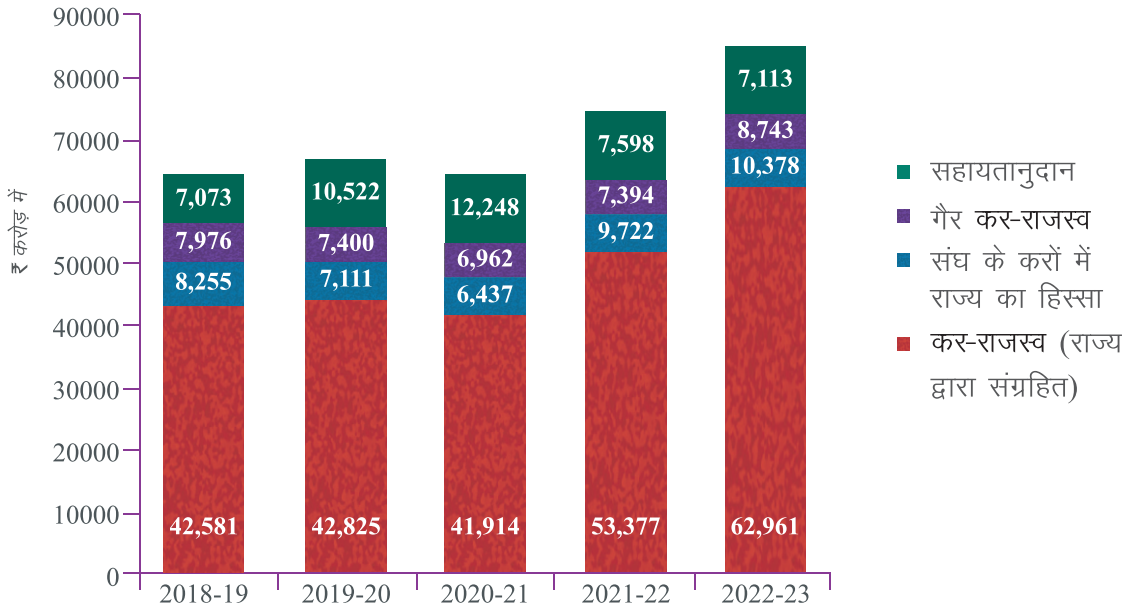

2.3 कर-राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रवार कर-राजस्व					
घटक	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
क. वस्तु तथा सेवा कर	20,813 (2.94)	20,891 (2.51)	20,143 (2.63)	25,685 (2.86)	31,509 (3.17)
ख. आय व व्यय पर कर	5,000 (0.71)	4,324 (0.52)	3,943 (0.51)	5,721 (0.64)	6,876 (0.69)
ग. सम्पत्ति तथा पूँजीगत लेन-देनों पर कर	5,656 (0.80)	6,034 (0.72)	5,173 (0.68)	7,620 (0.85)	8,630 (0.87)
ध. वस्तुओं व सेवाओं पर कर	19,367 (2.74)	18,687 (2.25)	19,092 (2.50)	24,073 (2.69)	26,324 (2.65)
कुल कर-राजस्व	**50,836** **(7.19)**	**49,936** **(6.00)**	**48,351** **(6.32)**	**63,099** **(7.04)**	**73,339** **(7.38)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,07,126	8,31,610	7,64,872	8,95,671	9,94,154

टिप्पणीः कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता को दर्शाते है।
सभी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े वर्तमान दरों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा सूचित किए गए है।

वर्ष 2022-23 में सकल कर राजस्व में बढ़ोतरी मुख्यतः भारत सरकार से राज्य के हिस्से के अधिक आबंटन जैसे कि निगम कर (₹ 632 करोड़), निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 522 करोड़) और राज्य वस्तु तथा सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) (₹ 5,654 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 1,740 करोड़), स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (₹ 1,009 करोड़) तथा वाहनों पर कर (₹ 967 करोड़) इत्यादि के तहत अधिक संग्रहण के कारण थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुख्य करों के रूझान

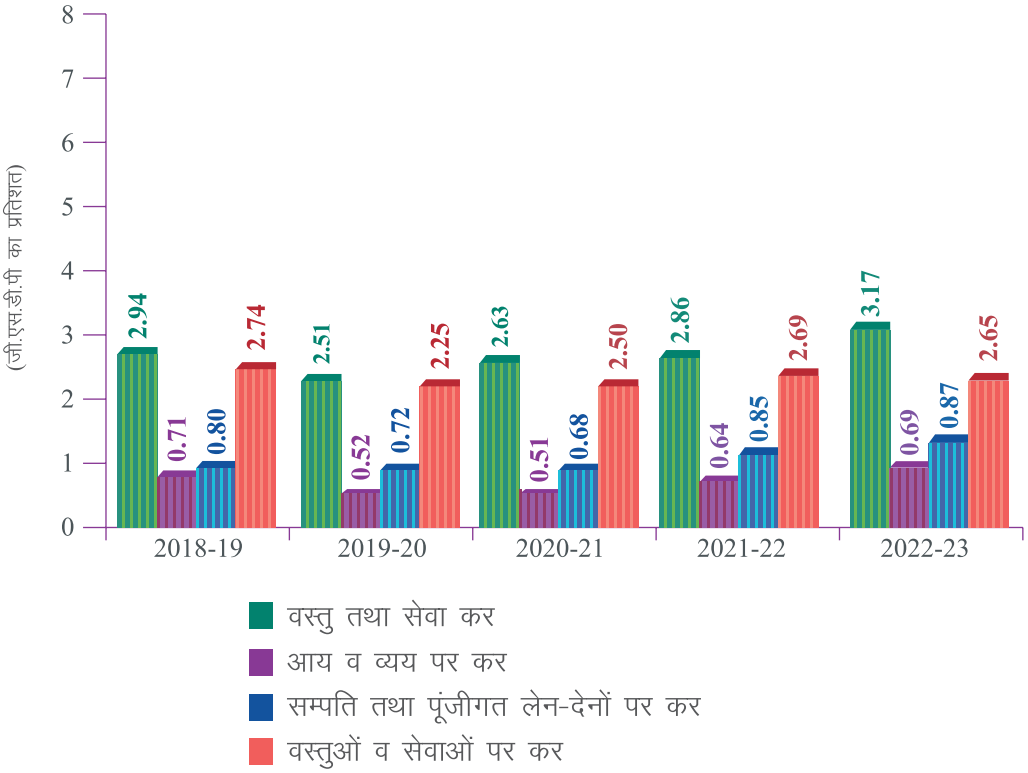

2.3.1 राज्य के निजी कर तथा संघीय करों में राज्य का अंश

राज्य सरकार को कर-राजस्व मुख्यतः दो स्त्रोतों से आता हैः राज्य का निजी कर संग्रहण तथा संघीय करों का अन्तरण।

वर्ष	कर-राजस्व (₹ करोड़ में)	संघीय करों/ शुल्कों में राज्य का अंश (₹ करोड़ में)	राज्य का निजी कर-राजस्व: कर-राजस्व (₹ करोड़ में)	राज्य का निजी कर-राजस्व: जी. एस. डी. पी. से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018-19	50,836	8,255	42,581	6.02
2019-20	49,936	7,111	42,825	5.15
2020-21	48,351	6,437	41,914	5.48
2021-22	63,099	9,722	53,377	5.96
2022-23	73,339	10,378	62,961	6.33

निम्न तालिका में पिछले पाँच वर्षों के दौरान दो स्त्रोतों से प्राप्त कर-राजस्व को तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राज्य का निजी कर संग्रहण	42,581	42,825	41,914	53,377	62,961
संघीय करों का अन्तरण	8,255	7,111	6,437	9,722	10,378
सकल कर-राजस्व	**50,836**	**49,936**	**48,351**	**63,099**	**73,339**
राज्य के निजी कर की सकल कर राजस्व से प्रतिशतता	84	86	87	85	86

राज्य के निजी कर संग्रहण का सकल कर-राजस्व से अनुपात वर्ष 2021-22 में 85 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 86 *प्रतिशत* हो गया ।

2.3.2 पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य के निजी कर संग्रहण के रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1. राज्य वस्तु तथा सेवा कर	18,613	18,873	18,236	22,922	28,577
2. भू-राजस्व	19	20	17	21	22
3. स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	5,636	6,013	5,157	7,598	8,607
4. राज्य उत्पाद शुल्क	6,042	6,323	6,864	7,933	9,673
5. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,998	8,398	8,660	11,221	11,262
6. वाहन-कर	2,908	2,916	2,495	3,265	4,231
7. माल तथा यात्रियों पर कर	21	16	4	6	3
8. विद्युत कर तथा शुल्क	337	262	476	404	578
9. अन्य कर	7	4	5	6	7
कुल राज्य के निजी कर	**42,581**	**42,825**	**41,914**	**53,376**	**62,960(क)**

(क) वास्तविक राज्य के निजी कर संग्रहण से ₹ 1 करोड़ का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

2.4 कर संग्रहण पर लागत

(₹ करोड़ में)

कर	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व संग्रहण	8,998	8,398	8,660	11,221	11,262
संग्रहण पर व्यय	151	172	207	208	267
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	1.68	2.05	2.39	1.85	2.37
2. राज्य उत्पाद शुल्क					
राजस्व संग्रहण	6,042	6,323	6,864	7,933	9,673
संग्रहण पर व्यय	38	47	53	52	59
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	0.63	0.74	0.77	0.66	0.61
3. वाहन, माल तथा यात्री कर					
राजस्व संग्रहण	2,929	2,932	2,499	3,271	4,234
संग्रहण पर व्यय	56	58	77	74	86
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	1.91	1.98	3.08	2.26	2.03
4. स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क					
राजस्व संग्रहण	5,636	6,013	5,157	7,598	8,607
संग्रहण पर व्यय	9	10	9	22	10
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	0.16	0.17	0.17	0.29	0.12

अन्य करों के संग्रहण पर व्यय के मुकाबले, बिक्री, व्यापार आदि पर कर तथा वाहन, माल तथा यात्री कर के संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता अत्यधिक थी।

2.5 संघीय करों में राज्य के अंश में पिछले पाँच वर्षों के रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर	2,038	2,018	1,907	2,763	2,933
एकीकृत वस्तु और सेवा कर	163	..	..	..	..
निगम कर	2,871	2,425	1,947	2,846	3,479
आय पर निगम कर से भिन्न कर	2,114	1,900	1,996	2,875	3,397
आय और व्यय पर अन्य कर	15	..	..	..	..
सम्पत्ति कर	1	..	..	1	..
सीमा शुल्क	585	451	338	709	408
संघ उत्पाद शुल्क	389	313	216	390	128
सेवा कर	75	..	28	128	16
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	4	4	5	10	17
संघीय करों/शुल्कों में राज्य का अंश	8,255	7,111	6,437	9,722	10,378
कुल कर-राजस्व	**50,836**	**49,936**	**48,351**	**63,099**	**73,339**
संघीय करों में राज्य के अंश की कुल कर-राजस्व से प्रतिशतता	16	14	13	15	14

हरियाणा सरकार के कुल कर-राजस्व में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान, 13 से 16 *प्रतिशत* के बीच थी।

2.6 सहायतानुदान

सहायतानुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें राज्य योजनाओं, केन्द्रीय योजनाओं तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान तथा वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किए गए राज्य अनुदान समाहित हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान सहायतानुदान के अधीन कुल प्राप्तियाँ ₹ 7,113 करोड़ थी जैसा कि निम्न दर्शाया गया है :

सहायतानुदान

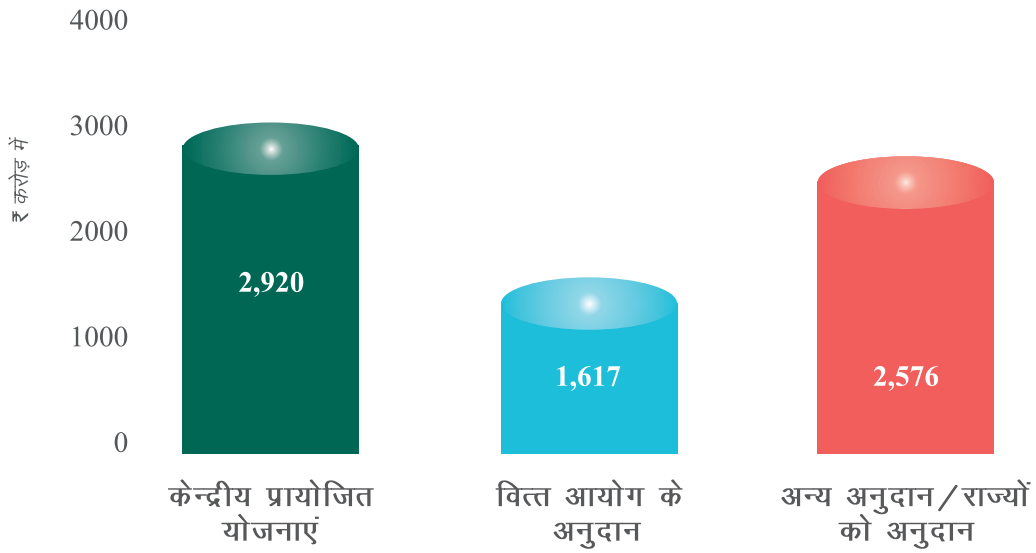

सहायतानुदान के रूझान

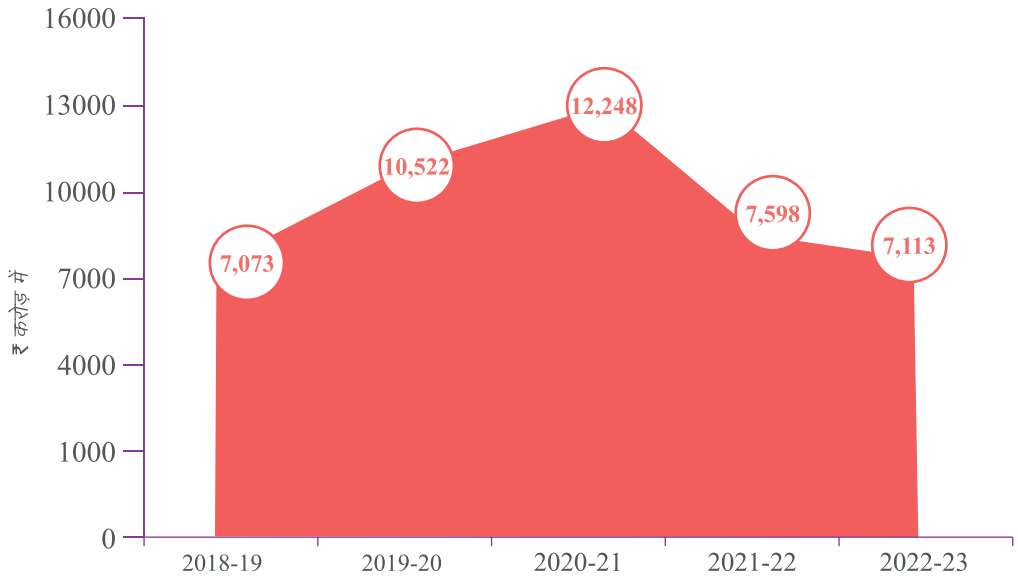

2.7 लोक ऋण

पिछले पाँच वर्षों में लोक ऋण के रूझान

₹ करोड़ में

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आन्तरिक ऋण	1,54,968	1,83,786	2,03,958	2,26,208	2,52,781
केन्द्रीय ऋण	1,867	1,705	1,500	1,489	2,544
कुल जोड़	1,56,835	1,85,491	2,05,458	2,27,697	2,55,325

टिप्पणीः केन्द्रीय ऋणों में जी.एस.टी. मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ.न. 40(1)पी.एफ.-एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 के द्वारा बैक टू बैक ऋण के रूप में दी गई राशि (2020-21 के दौरान ₹ 4,352.00 करोड़ तथा 2021-22 और 2022-23 के दौरान ₹ 11,746 करोड़) शामिल नही हैं।

वर्ष 2022-23 में, कुल ₹ 45,158 करोड़ के तैंतालीस ऋण, 7.15 *प्रतिशत* से 7.97 *प्रतिशत* की ब्याज दर से, खुला-बाजार से उठाये गए थे जो वर्ष 2027-42 तक प्रतिदेय हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 12,866 करोड़ तथा अन्य ऋणों के द्वारा ₹ 221 करोड़ के ऋण उठाये। भारतीय रिजर्व बैंक से ₹ 21,134 करोड़ की राशि अर्थोपाय अग्रिम के माध्यम से ली गई। इस प्रकार, सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में कुल ₹ 79,379 करोड़ का आन्तरिक ऋण लिया गया। सरकार को भारत सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में ₹ 1,270 करोड़ भी प्राप्त हुए। हालांकि, वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ₹ 52,806 करोड़ का आंतरिक ऋण चुकाया गया। वर्ष के दौरान भारत सरकार के ऋणों और अग्रिमों का पुनर्भुगतान ₹ 215 करोड़ तक था।

अध्याय-III

आवर्ती

3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति का होता है व इसका उपयोग सरकारी तंत्र के दैनिक कार्य-संचालन के लिए किया जाता है तथा इसे राजस्व प्राप्तियों से वहन किया जाना होता है। पूँजीगत व्यय को स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी परिसम्पत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि या स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

सरकारी लेखों में व्यय को मुख्यतः तीन खण्डों में बांटा गया है : सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ तथा आर्थिक सेवाएँ। इन खण्डों के अन्तर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्रों के व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

3.2 राजस्व व्यय

विनियोग लेखों के अनुसार पिछले पाँच वर्षों के दौरान, बजट अनुमानों के विरूद्ध राजस्व व्यय की कमी का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बजट अनुमान	91,072	1,00,755	1,13,664	1,34,262	1,23,907
वास्तविक आंकड़े	77,365	85,180	90,671	99,441	1,06,853
अन्तर	13,707	15,575	22,993	34,821	17,054
अन्तर की बजट अनुमानों से प्रतिशतता	15	15	20	26	14

(स्रोत- संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

3.2.1 प्रतिबद्ध राजस्व व्यय

प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान तथा पेंशन पर किया गया व्यय शामिल है। वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय का लगभग 54 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय पर जैसे वेतन (₹ 25,446 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 20,096 करोड़) तथा पेंशन (₹ 12,404 करोड़) पर खर्च किया गया।

प्रत्येक वर्ष इससे पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि देखी गई जैसा कि नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वेतन पर व्यय	19,412	21,721	21,961	23,441	25,446
ब्याज भुगतान पर व्यय	13,551	15,588	17,115	18,362	20,096
पेंशन पर व्यय	8,140	8,833	9,713	10,617	12,404
कुल	**41,103**	**46,142**	**48,789**	**52,420**	**57,946**

प्रतिबद्ध राजस्व व्यय के रूझान

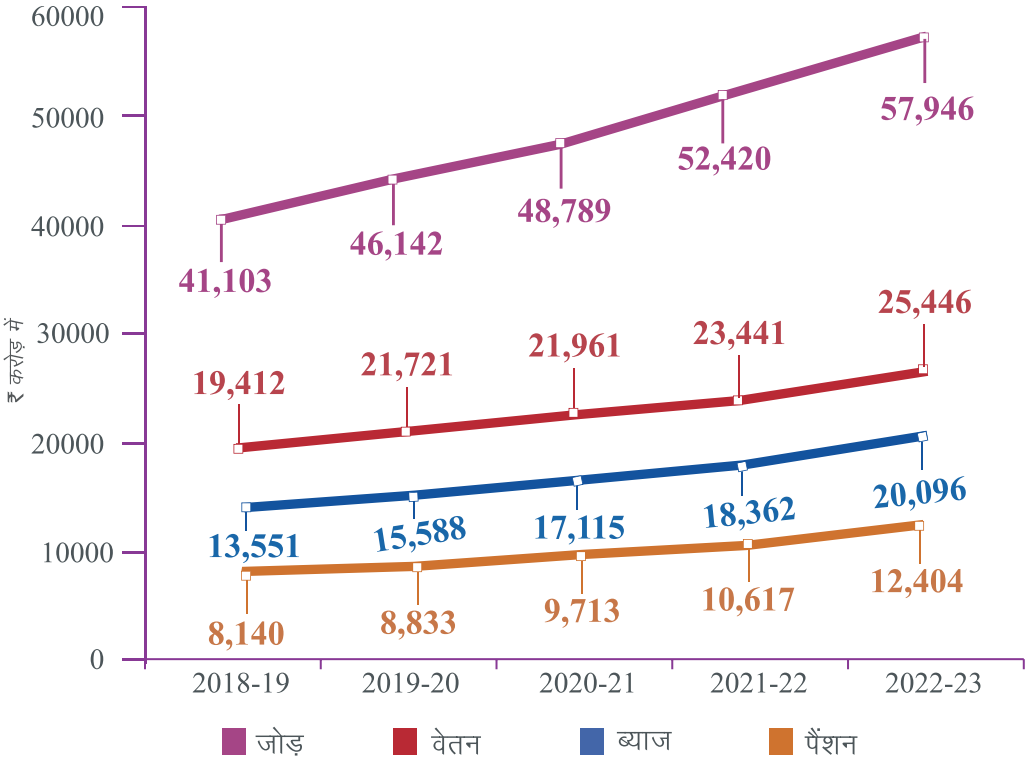

विगत पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के साथ तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22
कुल राजस्व व्यय	77,155	84,848	89,946	98,425	1,06,406
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय #	41,103	46,142	48,789	52,420	57,946
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	36,052	38,706	41,157	46,005	48,460
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय की कुल राजस्व व्यय से प्रतिशतता	53	54	54	53	54
राजस्व प्राप्तियाँ	65,885	67,858	67,561	78,092	89,195
प्रतिबद्ध व्यय की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	62	68	72	67	65

 # प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, ब्याज तथा पेंशन भुगतान पर किया व्यय सम्मिलित है।

यह देखा जा सकता है कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय वर्ष 2018-19 में ₹ 36,052 करोड़ से 34 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 48,460 करोड़ हो गया। कुल राजस्व व्यय वर्ष 2018-19 में ₹ 77,155 करोड़ से 38 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 1,06,406 करोड़ हो गया तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिस कारण विकास कार्यों पर व्यय हेतु सरकार के पास कम धन उपलब्ध रह गया।

3.2.2 राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार विवरण (2022-23)

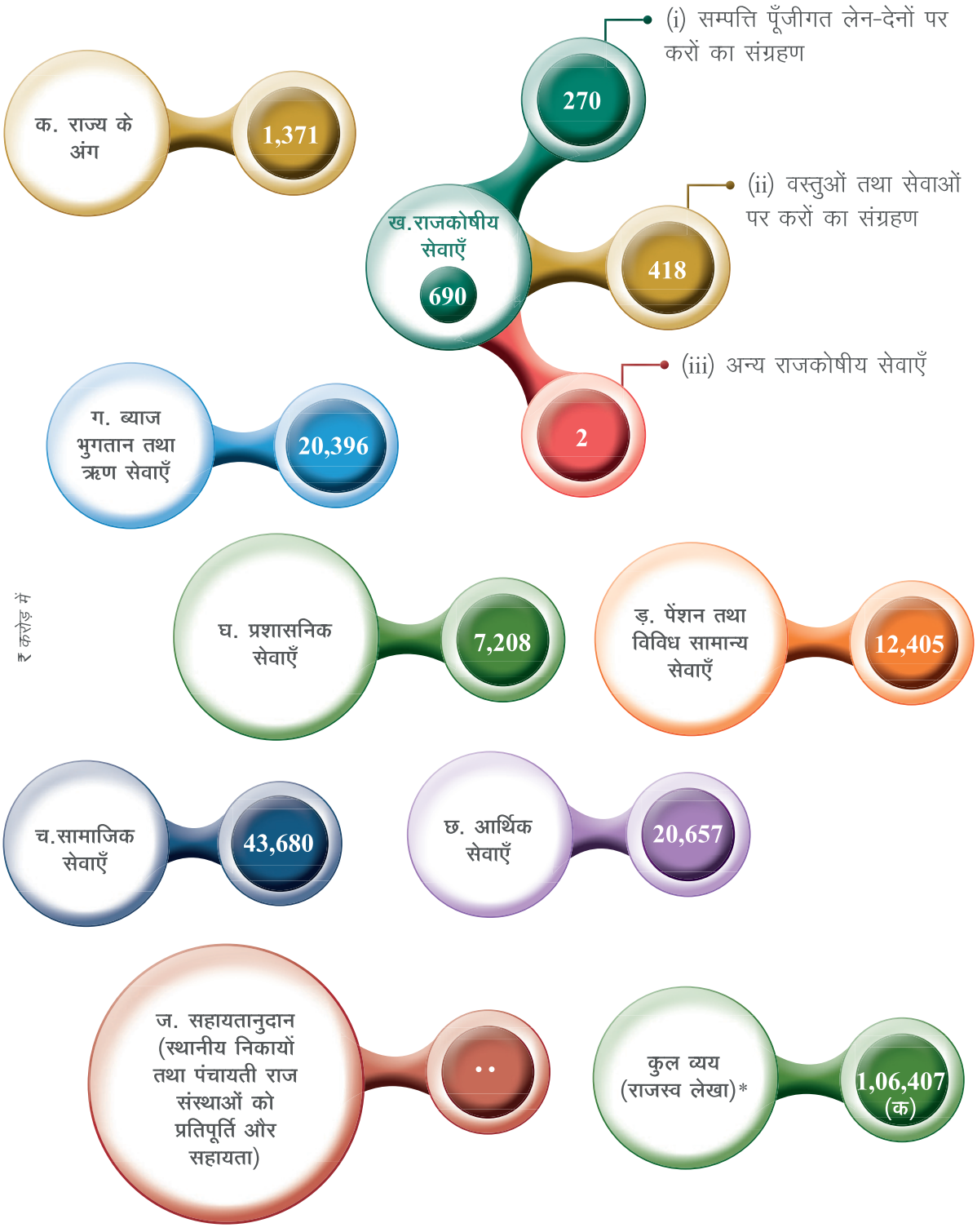

** (शुद्ध वसूलियाँ घटाने के बाद)*

(क) वास्तविक आंकड़ों का अंतर ₹ 1 करोड़ का कारण पूर्णांकन है।

3.2.3 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2018-19 से 2022-23)

(₹ करोड़ में)

घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामाजिक सेवाएँ	29,743	33,726	36,164	40,928	43,680
आर्थिक सेवाएँ	19,021	19,238	19,048	19,549	20,657
ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवाएँ	13,551	15,588	17,115	18,862	20,396
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवाओं के अतिरिक्त)	14,618	16,296	17,619	19,086	21,673

राजस्व व्यय के मुख्य घटकों के रूझान

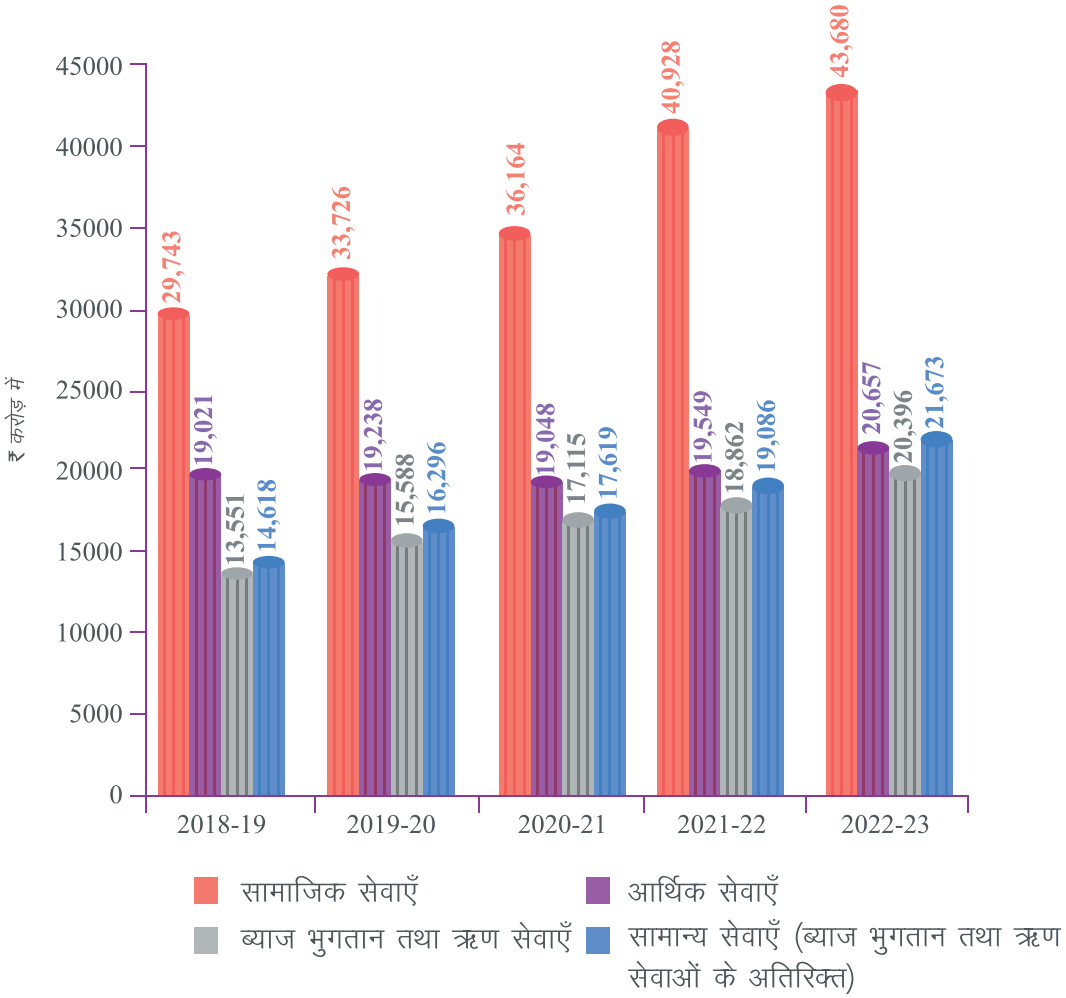

3.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय विकास को लगातार बनाये रखने के लिए अत्यन्त जरूरी है। वर्ष 2022-23 में ₹ 11,665 करोड़ का पूँजीगत व्यय (जी. एस. डी. पी. का 1 *प्रतिशत*) बजट अनुमानों से ₹ 11,407 करोड़ कम था। वर्ष 2018-19 के बाद

पूँजीगत व्यय में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समानंतर वृद्धि नहीं हुई जैसा कि निम्न सारणी से प्रतीत होता है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	बजट अनुमान*	19,573	19,563	14,055	14,028	23,072
2	वास्तविक पूँजीगत व्यय(#)	15,307	17,666	5,870	11,046	11,665
3	वास्तविक पूँजीगत व्यय की बजट अनुमानों से प्रतिशतता	78	90	42	79	51
4	पूँजीगत व्यय में वार्षिक वृद्धि की प्रतिशतता	13	15	(-) 67	88	6
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,07,126	8,31,610	7,64,872	8,95,671	9,94,154
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि की प्रतिशतता	16	18	(-) 8	17	11

** आंकड़े विनियोग लेखों के अनुसार हैं जिनमें व्यय की कटौती में समायोजित की गई वसूलियां भी शामिल हैं।*
 # इसमें ऋणों तथा अग्रिमों का व्यय सम्मिलित नहीं है।

3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

2022-23 के दौरान, सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर ₹ 1,625 करोड़ (मुख्य सिंचाई पर ₹ 870 करोड़ तथा मध्यम सिंचाई पर ₹ 755 करोड़) का व्यय किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार ने सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर ₹ 3,645 करोड़ का खर्च किया तथा सरकारी कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 228 करोड़ का निवेश किया। वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों तथा समितियों के द्वारा ₹ 74 करोड़ की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया।

3.3.2. पिछले पाँच वर्षों में पूँजीगत व्यय का क्षेत्र-वार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामान्य सेवाएँ	715 (4)	586 (3)	388 (6)	562 (5)	553 (4)
सामाजिक सेवाएँ	3,805 (24)	3,234 (17)	2,986 (44)	5,471 (45)	3,756 (27)
आर्थिक सेवाएँ	10,787 (67)	13,846 (73)	2,496 (37)	5,012 (42)	7,356 (52)
ऋण तथा अग्रिम	756 (5)	1,309 (7)	926 (13)	966 (8)	2,462 (17)
कुल पूँजीगत व्यय	**16,063**	**18,975**	**6,796**	**12,011**	**14,127**

टिप्पणीः *कोष्ठकों में दर्शाये आंकड़े, कुल पूँजीगत व्यय से प्रतिशतता बताते हैं।*

पूँजीगत तथा राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

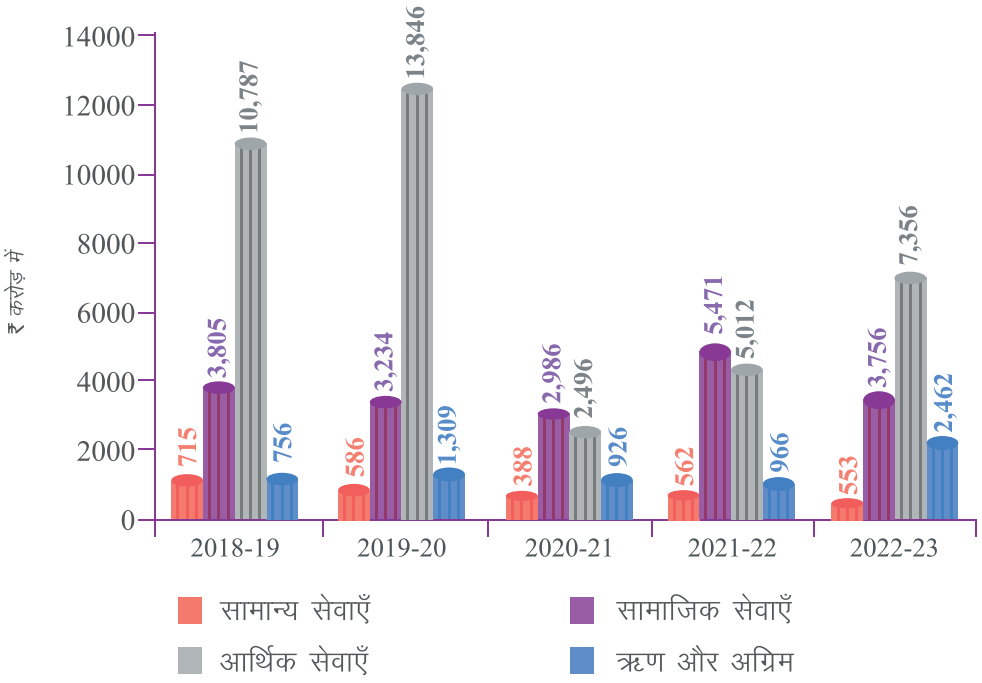

3.3.3. पूँजीगत तथा राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

विगत पाँच वर्षों में पूँजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्र-वार विवरण निम्न दिखाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	खण्ड	प्रवर्ग	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
(क)	सामान्य सेवाएँ	पूँजीगत	715	586	388	562	553
		राजस्व	28,169	31,884	34,734	37,948	42,069
(ख)	सामाजिक सेवाएँ	पूँजीगत	3,805	3,234	2,986	5,471	3,756
		राजस्व	29,743	33,726	36,164	40,928	43,680
(ग)	आर्थिक सेवाएँ	पूँजीगत	10,787	13,846	2,496	5,012	7,356
		राजस्व	19,021	19,238	19,048	19,549	20,657
(घ)	सहायता अनुदान एवं अंशदान	पूँजीगत	लागू नही*	लागू नही*	लागू नही*	लागू नही*	लागू नही*
		राजस्व	222	..	..	..	..

*लागू नही

टिप्पणी: राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थानों/ एजेंसियों को राजस्व व्यय के तहत दी जाने वाली अनुदान सहायता सम्बन्धित योजनाओं के मुख्य शीर्षों के तहत दर्ज की जाती है।

अध्याय-IV

विनियोग लेखे

4.1 वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखाओं का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
1.	**राजस्व**					
	दत्तमत	96,238	6,183	1,02,421	86,466	(-) 15,955
	प्रभारित	*21,424*	*61*	*21,485**	*20,387*	*(-) 1,098*
2.	**पूँजीगत**					
	दत्तमत	41,488	728	42,216	24,343	(-) 17,873
	प्रभारित	*110*	..	*110*	*33*	*(-) 77*
3.	**लोक ऋण**					
	प्रभारित	*35,052*	*18,536*	*53,588*	*53,021*	*(-) 567*
4.	**ऋण एवं अग्रिम**					
	दत्तमत	1,117	172	1,289	1,037	(-) 252
	जोड़					
	दत्तमत	**1,38,843**	**7,083**	**1,45,926**	**1,11,846**	**(-) 34,080**
	प्रभारित	***56,586***	***18,597***	***75,183****	***73,441****	***(-) 1,742***

**कुल बजट/वास्तविक व्यय में ₹ 1 करोड़ का अंतर पूर्णांकन के कारण है।*

4.2 विगत पाँच वर्षों में बचत/आधिक्य के रूझान

(₹ करोड़ में)

बचत (-) आधिक्य (+)					
वर्ष	राजस्व	पूँजी	लोक ऋण	कर्ज तथा पेशगियां	कुल
2018-19	(-) 13,707	(-) 3,325	(-) 2,082	(-) 1,256	**(-) 20,370**
2019-20	(-) 15,575	(-) 6,164	(-) 4,482	(-) 373	**(-) 26,594**
2020-21	(-) 185	(+) 1,332	(-) 3,484	(+) 183	**(-) 2,154**
2021-22	(+) 17,729	(+) 1,261	(-) 2,688	..	**(+) 16,302**
2022-23	(-) 17,053*	(-) 17,950*	(-) 567*	(-) 252*	**(-) 35,822***

**पुनर्विनियोजन के द्वारा समर्पण को छोड़कर ।*

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के तहत पर्याप्त बचत, कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमें क्रियान्वयन की ओर इंगित करती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, महत्वपूर्ण निवल बचत (कुल बजट अनुमानों का ≥10 प्रतिशत) वाले सभी अनुदान निम्न प्रकार से है :

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	कुल बजट अनुमानों का प्रतिशत	बचत राशि
1	विधान सभा	14	13
2	राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्	11	24
3	सामान्य प्रशासन/निर्वाचन	38	382
4	राजस्व/आबकारी एवं कराधान	25	655
5	गृह/न्याय प्रशासन/कारागार	18	1,626
7	राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां	20	252
10	खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/पशुपालन तथा डेरी विकास/मछली पालन/वन तथा वन्य प्राणी/परिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण	30	2,065
11	खाद्य एवं पूर्ति/सहकारिता	35	6,447
12	शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/महिला तथा बाल विकास	16	3,922
13	खेलकूद तथा युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	30	251
14	स्वास्थ्य	17	1,591
15	श्रम/रोजगार/औधौगिक प्रशिक्षण	41	862
16	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण/सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण/भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	10	1,007
17	भवन तथा सड़कें/परिवहन	16	1,561
18	सूचना तथा प्रचार/इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण तथा लेखन सामग्री	34	244
19	सिंचाई/उद्योग/ऊर्जा तथा विद्युत	18	2,718
20	नगर विकास/स्थानीय शासन/ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास/लोक-स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति	47	9,551

नगर विकास/स्थानीय शासन/ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास/लोक-स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति, खाद्य एवं पूर्ति/सहकारिता, शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/महिला तथा बाल विकास तथा सिंचाई/उद्योग/ऊर्जा तथा विद्युत के अधीन व्यापक बचतें, योजनाओं को क्रियान्वयन के समय कम-प्राथमिकता दिया जाना है, भले ही उन्हें विद्यायिका द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, बचतें बढ़े हुए बजट-अनुमानों अथवा सरकार की अपने राजकोषीय घाटे को सीमा के भितर रखने की इच्छा के परिपेक्ष में हो सकती हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, कुछ मामलों में, कुल ₹ 25,680 करोड़ के अनुपूरक अनुदान (सकल व्यय ₹ 1,85,288 करोड़ का 13.86 *प्रतिशत*) अनावश्यक सिद्ध हुए। वर्ष के अन्त में, मूल बजट के विरूद्ध हुई बचतों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
3	2051- लोक सेवा आयोग 103- कर्मचारी चयन आयोग 99- स्थापना	राजस्व	152	75	132
12	2202- सामान्य शिक्षा 01- प्रारंभिक शिक्षा 112- विद्यालयों में मध्याहन भोजन का राष्ट्रीय प्रोग्राम 99- प्राईमरी स्कूलों के बच्चों के लिए मध्यदिवस भोजन	राजस्व	321	60	310
12	2202- सामान्य शिक्षा 03- विश्व विद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103- राजकीय कालेज तथा संस्थान 98- राजकीय कालेज	राजस्व	466	148	390
12	2202- सामान्य शिक्षा 03- विश्व विद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 104- अराजकीय कालेजों तथा संस्थानों को सहायता 99- गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायतानुदान	राजस्व	470	118	470
12	2203- तकनीकी शिक्षा 105- बहुशिल्प 59- राजकीय में बहुतकनीकियों का विकास (98-स्थापना खर्च)	राजस्व	322	100	282
14	2210- चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 102- कर्मचारी राज्य बीमा योजना 98- जिला अमला (98-स्थापना खर्च)	राजस्व	308	54	289

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
14	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110- अस्पताल व औषधालय 99- भवन नाम बदलकर अवसंरचना/प्रशासनिक व्यय	पूंजीगत	300	75	262
16	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99- अनुसूचित जाति की विधवाओं के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	राजस्व	1200	28	1067
17	3054- सड़क तथा सेतु 04- जिला तथा अन्य सड़कें 337- सड़क निर्माण कार्य 98- ग्रामीण सड़कें	राजस्व	400	40	328
17	2059- लोक निर्माण कार्य 80- सामान्य 001- निदेशन तथा प्रशासन 96- निष्पादन	राजस्व	440	10	392
20	2217- शहरी विकास 80- सामान्य 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों,टाउन में सहायता सुधार बोर्ड आदि 96- स्टांप शुल्क की आय से नगर निगमों को स्थानीय निकायों के लिए योगदान	राजस्व	950	660	711

अध्याय-V

परिसम्पत्तियाँ तथा दायित्व

5.1 परिसम्पत्तियाँ

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन को, अर्जन/खरीद के वर्ष में मूल्य को छोड़कर, सही तरह नहीं दर्शाता। इसी प्रकार, जैसे लेखे केवल चालू-वर्ष की देनदारियों के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, पर वे भावी पीढ़ीयों पर पड़ने वाले दायित्वों के समग्र प्रभाव को चित्रित नहीं करते। वे केवल एक सीमा तक ब्याज की दर तथा मौजूदा ऋण की अवधि को दर्शाते हैं।

वर्ष 2022-23 के अन्त में, गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयर-पूँजी के रूप में कुल निवेश, ₹ 38,020 करोड़ था। जबकि वर्ष के दौरान, ₹ 192 करोड़ (कुल निवेश का 0.50 *प्रतिशत*) का लाभांश प्राप्त हुआ। वर्ष 2022-23 के दौरान, निवेश में ₹ 154 करोड़ (निवल) की वृद्धि हुई तथा लाभांश में ₹ 816 करोड़ की कमी आई।

1 अप्रैल 2022 को, भारतीय रिजर्व बैंक का रोकड़ शेष ₹ (-) 371 करोड़ था जो मार्च 2023 के अन्त तक घटकर ₹ (-) 716 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 में, सरकार ने 102 अवसरों पर, ₹ 64,547 करोड़ का 14 दिनों के खजाना बिलों में निवेश किया तथा ₹ 65,834 करोड़ के मूल्य का, 133 अवसरों पर खजाना बिलों का पुनः बट्टा चुकाया। वर्ष 2022-23 के दौरान निवेश की स्थिति को नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है:

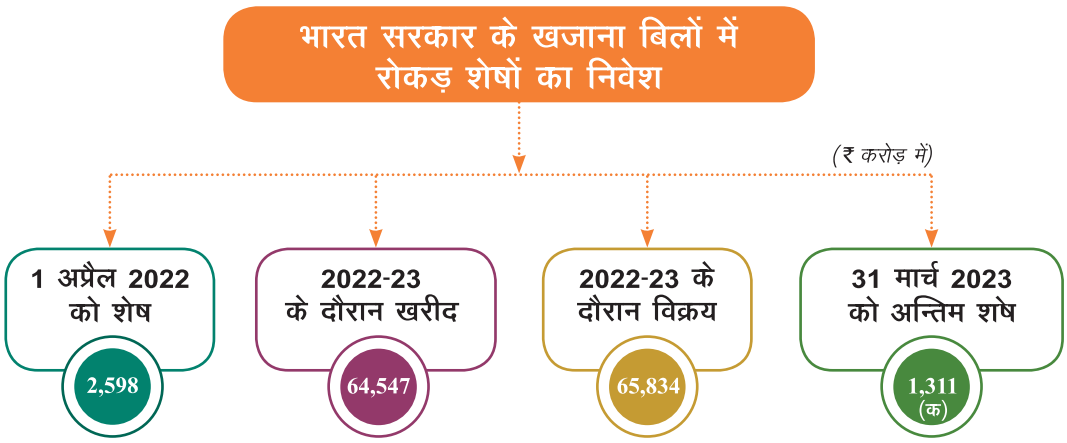

(क) वास्तविक रोकड़ शेषों के निवेश से ₹ 1 करोड़ का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

5.2 ऋण तथा दायित्व

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293, राज्य सरकारों को, राज्य की समेकित निधि की अभिरक्षा पर, एक सीमा के भीतर, जो कि राज्य विधानमण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है, यदि कोई है, उधार लेने की शक्तियां प्रदान करता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विगत पाँच वर्षों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैः

वर्ष	लोक ऋण *(₹ करोड़ में)*	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	लोक लेखा (*) *(₹ करोड़ में)*	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	कुल दायित्व *(₹ करोड़ में)*	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
2018-19	1,56,835	22	27,381	4	1,84,216	26
2019-20	1,85,491	22	30,071	4	2,15,562	26
2020-21	2,05,458	27	33,250	4	2,38,708	31
2021-22	2,27,697	25	36,254	4	2,63,951	29
2022-23	2,55,325	26	37,798	4	2,93,123	29

(*) उचन्त और प्रेषण शेष से बाहर है।

टिप्पणीः 1. लोक ऋणों में जी.एस.टी. मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ.न. 40(1)पी.एफ.-एस./2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 के द्वारा बैक टू बैक ऋण के रूप में दी गई राशि (2020-21 के दौरान ₹ 4,352.00 करोड़ तथा 2021-22 और 2022-23 के दौरान ₹ 11,746 करोड़) शामिल नही हैं।

2. आंकड़े वर्ष के अन्त तक प्रगतिशील शेष हैं ।

2022-23 में लोक ऋण तथा कुल दायित्वों में, पिछले वर्ष से, ₹ 29,172 करोड़ (11 *प्रतिशत*) की निविल वृद्धि हुई है।

सरकारी देनदारियों के रूझान

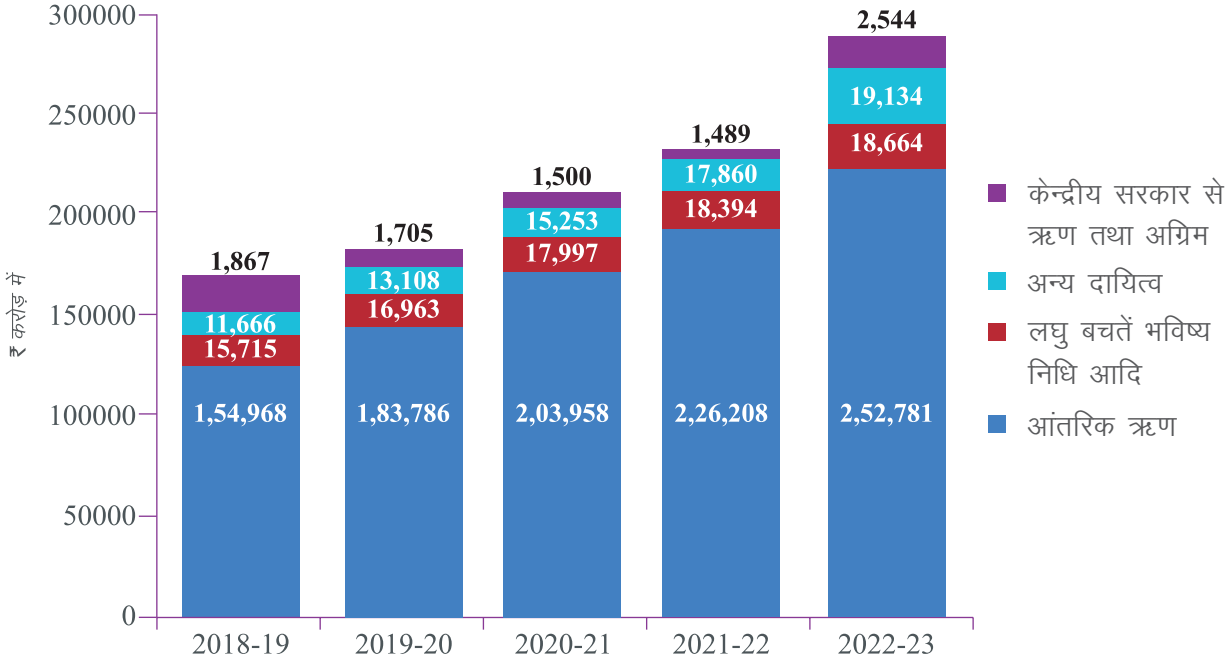

5.3 गारंटियाँ

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों इत्यादि द्वारा विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु, बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की गारंटियां भी देती हैं। ये गारंटियां, सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण पूँजी तथा उस पर ब्याज जिनके लिए गारंटी दी गई थी, की अदायगी न कर पाने की स्थिति में राज्य सरकार की समेकित निधि पर उत्तरदायित्व होती है तथा इन गारंटियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विगत पाँच वर्षों की स्थिति नीचे दी गई है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त में	गारंटी की अधिकतम राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अन्त में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2018-19	20,654	18,220*	उपलब्ध नही**
2019-20	22,560	20,738*	उपलब्ध नही**
2020-21	25,492	23,053*	उपलब्ध नही**
2021-22	30,579	24,343*	उपलब्ध नही**
2022-23	30,926	23,058*	उपलब्ध नही**

** मूलधन एवं ब्याज सम्मिलित है।*
*** उपलब्ध नहीं*

टिप्पणीः विस्तृत विवरण, वित्त लेखे की विवरणी संख्या 20 में उपलब्ध है तथा यह राज्य सरकार, वित्त विभाग से प्राप्त सूचना पर आधारित है।

अध्याय-VI

अन्य मदें

6.1 आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष

31 मार्च 2023 तक, लेखों की पुस्तकों में कोई प्रतिकूल शेष नहीं है।

6.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम

वर्ष 2022-23 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 10,574 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए गए। इनमें से, सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को प्रदत्त ऋणों तथा अग्रिमों की राशि ₹ 10,439 करोड़ थी। वर्ष 2022-23 के अन्त मे ₹ 1,228 करोड़ मूलधन की वसूली लम्बित थी। राज्य सरकार द्वारा ब्याज की बकाया राशि की वसूली से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। वर्ष 2022-23 के दौरान, ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली के तौर पर ₹ 238 करोड़ की राशि (विद्युत वितरण कम्पनियों के ₹ 120 करोड़ सहित) प्राप्त हुई, जिसमें से ₹ 77 करोड़ की राशि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान की है। बकाया ऋणों की वसूली हेतु उठाए जाने वाले प्रभावी कदम, सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सहायक होंगे ।

6.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों, स्वायत्त-निकायों आदि को दिए गए सहायतानुदानों की राशि वर्ष 2018-19 के ₹ 10,078 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 11,674 करोड़ हो गयी। जिला परिषदों (पंचायती राज संस्थानों) तथा नगरपालिकाओं/नगर-परिषदों को दिए गए अनुदान (₹ 3,900 करोड़), वर्ष के दौरान दिए गए सकल अनुदानों का 33 *प्रतिशत* हैं।

विगत पाँच वर्षों में दिए गए सहायतानुदानों का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संस्था का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22
1	जिला परिषद	2,547	3,098	3,236	955	1,358
2	नगर पालिका	2,092	2,279	2,766	3,472	2,542
3	सरकारी कम्पनियां	..	..	..	..	..
4	सांविधिक निगम	1,350	1,745	2,108	1,686	..
5	विश्वविद्यालय	2,093	2,497	2,468	2,633	2,707
6	विकास प्राधिकरण	866	813	1,104	1,072	803
7	अन्य	1,130	905	1,330	2,627	4,264
	जोड़	10,078	11,337	13,012	12,445	11,674 (क)

(क) वास्तविक कुल सहायतानुदान से ₹ 1 करोड़ का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

प्रदत्त सहायतानुदान

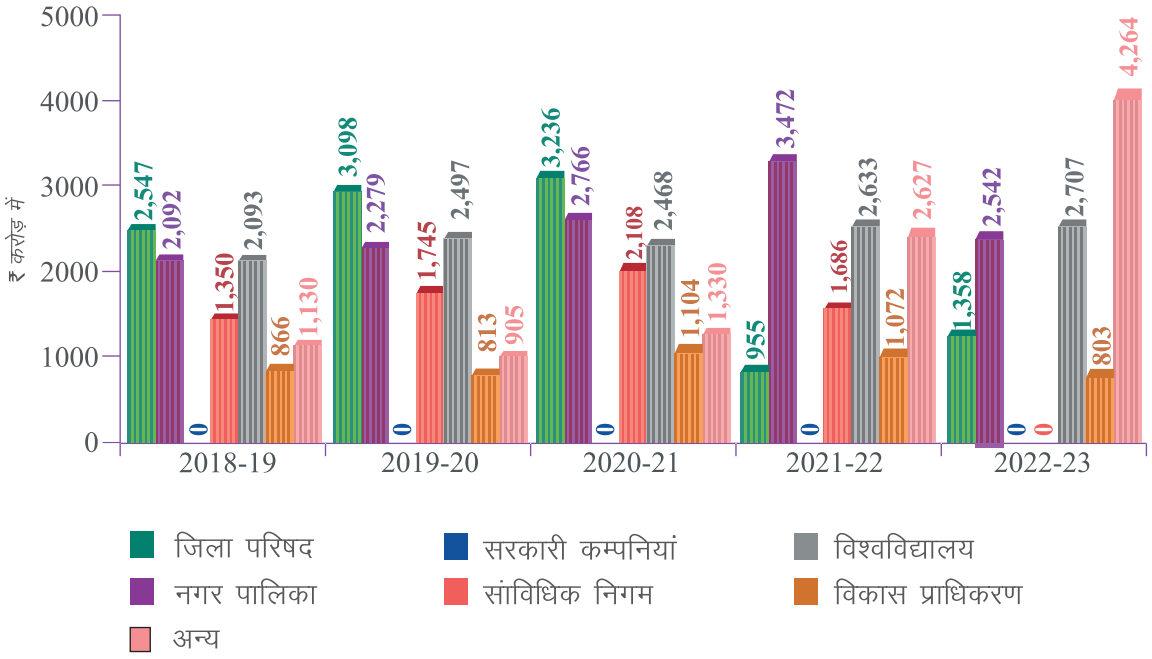

विगत पाँच वर्षों में पूँजीगत सम्पतियों के सृजन के लिए आबंटित सहायतानुदानों का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संस्था का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	जिला परिषद	2,336	2,991	3,105	868	854
2	नगर पालिका	1,028	1,387	2,188	2,482	2,113
3	सरकारी कम्पनियां	..	..	..	..	..
4	सांविधिक निगम	43	16	21	409	..
5	विश्वविद्यालय	183	173	38	94	264
6	विकास प्राधिकरण	143	156	151	175	297
7	अन्य	142	140	206	118	251
	जोड़	**3,875**	**4,863**	**5,709**	**4,146**	**3,779(क)**

(क) वास्तविक कुल सहायतानुदान से ₹ 1करोड़ का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

6.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2022 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति	निवल बढौतरी (+) /कमी (-)
रोकड़ शेष	(-) 371	(-) 716	(-) 345
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के खजाना बिल)	2,598	1,310	(-) 1,288
चिन्हित निधियों के शेष से निवेश	2,715	3,236*	521*
(क) निक्षेप निधि	1,284	1,692	408
(ख) गारंटी मोचन निधि	1,429	1,541	112
(ग) अन्य निधियाँ	2	2	..
वर्ष के दौरान वसूल ब्याज	25	4	(-) 21

**(क+ख+ग) के जोड़ से ₹ 1 करोड़ का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।*

31 मार्च 2023 को, राज्य सरकार का रोकड़ शेष नकारात्मक था। रोकड़ शेष के निवेश पर ब्याज प्राप्ति, वर्ष 2021-22 में ₹ 25 करोड़ से 84 प्रतिशत घटकर, वर्ष 2022-23 में ₹ 4 करोड़ रह गई।

6.5 प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

व्यय पर कुशलतापूर्वक नियंत्रण, उसे बजट अनुमान के भीतर रखने एवं अपने लेखों को सही रखने के लिए, सभी नियंत्रक अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा लेखाबद्व किए गए आंकड़ों के साथ करें। वर्ष के दौरान ₹ 89,268.60 करोड़ (कुल राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत*) की प्राप्तियों एवं ₹ 1,18,071.17 करोड़ (कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 100 *प्रतिशत*) के व्यय का मिलान राज्य सरकार द्वारा किया गया।

6.6 लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों द्वारा लेखों का प्रेषण

वित्त लेखे 2022-23, हरियाणा सरकार के 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की समयावधि के लेन-देन को दर्शाते हैं। हरियाणा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों का संकलन 24 कोषालयों, 117 लोक निर्माण (59 भवन तथा सड़कें, 58 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) मण्डलों, 86 सिंचाई मण्डलों, 40 वन मण्डलों, 38 वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर किया गया है। लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों से लेखों की प्राप्ति संतोषजनक है एवं वर्ष के अन्त में कोई भी लेखा छोड़ा नहीं गया है।

6.7 असमायोजित सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिल

सरकारी खजाने से कोई धन आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए इसकी आवश्यकता न हो। अप्रत्याशित परिस्थितियों में, धन की अग्रिम आवश्यकता होने अथवा आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) के लिए आवश्यक राशि की सही गणना संभव नही होने पर, वे सेवा शीर्षों को नामे करते हुए, संबंधित प्रपत्र संलग्न किए बिना, सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिलों के माध्यम से धनराशि आहरित करने के लिए अधिकृत हैं। इसके बाद, डी.डी.ओ. द्वारा उद्देश्य की पूर्ति (जिसके लिए अग्रिम आहरित किया गया था) की तारीख से एक महीने के भीतर, अंतिम व्यय से संबंधित वाउचर सहित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकता (डी.सी.सी.) बिल, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31 मार्च 2023 तक, असमायोजित ए. सी. बिलों (जिन के डी.सी.सी. बिल अभी प्रस्तुत किए जाने हैं) का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	असमायोजित ए. सी. बिल	
	संख्या	राशि *(₹ करोड़ में)*
2021-22 तक	223	25.34
2022-23	492	280.39
जोड़	**715**	**305.73**

6.8 उचंत तथा प्रेषण शेषों की स्थिति

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। 31 मार्च 2023 को, विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से लंबित नामे एवं जमा शेषों को जोड़ते हुए, इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, दो शीर्षों (8658 तथा 8782) के अंतर्गत ₹ 796.15 करोड़ (जमा) था।

इन शीर्षों के अंतर्गत, बकाया शेषों का समाशोधन न होना, राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय के आंकडों तथा शेषों (जिन्हें वर्ष दर वर्ष आगे ले जाया जाता है) की सार्थकता को प्रभावित करता है।

6.9 सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू. सी.) प्राप्त न होना

पंजाब वित्तीय नियमावली खंड-I (जो कि हरियाणा राज्य में लागू है) के नियम 8.14 के अनुसार, अनुदान प्राप्त करने वाले अधिकारी को प्राप्त सहायतानुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) अनुदान स्वीकृति के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीने के भीतर प्राधिकारी जिसने इसे स्वीकृत किया था, को प्रस्तुत करना चाहिए। यू.सी. प्रस्तुत न करने के कारण, इस बात का जोखिम बना रहता है कि वित्त लेखे में दर्शायी गई राशि का उपयोग न हुआ हो।

31 मार्च 2023 तक बकाया यू.सी. की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष (*)	बकाया यू. सी. की संख्या	राशि *(₹ करोड़ में)*
2021-22 तक	1,965	11,176.39
2022-23	695	6,800.26
जोड़	**2,660**	**17,976.65**

* *उपरोक्त वर्णित वर्ष ''देय वर्ष'' अर्थात वास्तविक आहरण के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह के भीतर से संबंधित है।*

6.10 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.)

01 जनवरी 2006 या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के अंतर्गत आते हैं जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* अंशदान करता है तथा राज्य सरकार द्वारा मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14 *प्रतिशत* अंशदान दिया जाता है तथा सारी राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा निगमित (एन.एस.डी.एल.)/अमानती बैंक के माध्यम से मनोनीत निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, एन.पी.एस. में कुल योगदान ₹ 2,325.15 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹ 1,004.06 करोड़ तथा सरकार का अंशदान ₹ 1,321.09 करोड़) था। सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा निगमित (एन.एस.डी.एल.) के माध्यम से मनोनीत निधि प्रबंधक को भुगतान के लिए लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8342-117 सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत एन.पी.एस. से सम्बन्धित ₹ 2,343.02 करोड़ हस्तांतरित किए। इसमें वर्ष 2022-23 के अन्त में ₹ 0.80 करोड़ के शेष के साथ, पिछले वर्ष के ₹ 18.67 करोड़ की राशि शामिल है।

6.11 व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खातों को धन का हस्तांतरण

पी.डी. खाते नामित आहरण अधिकारियों को राज्य की समेकित निधि में सेवा शीर्षों को नामे करके तथा मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा एवं लघु शीर्ष 106-व्यक्तिगत जमा के तहत व्यक्तिगत जमा खाते में जमा करके एक योजना से संबंधित विशिष्ट प्रयोजनों हेतु खर्च करने में सक्षम बनाते हैं।

पी.डी. खातों के प्रशासकों को वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को ऐसे खातों को बंद करके अव्ययित शेषों को समेकित निधि में वापस हस्तांतरित करना चाहिए। अन्य पी.डी. खातों के लिए (जो समेकित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से खोले गए), यदि कोई पी.डी. खाता तीन वर्ष तक परिचालित नहीं किया जाता तो उसे बन्द कर देना चाहिए। पी.डी. खातों के प्रशासकों को, अपने शेषों का मिलान/सत्यापन कोषालय के आंकड़ों के साथ करना चाहिए तथा वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र, कोषालय अधिकारी के माध्यम से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को भेजना चाहिए। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा।

2022-23 के दौरान, इन पी.डी. खातों में राज्य की समेकित निधि के अतिरिक्त स्रोतों से ₹ 2,283.71 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई।

31 मार्च 2023 को पी.डी. खातों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2022 को आरंभिक शेष		वर्ष 2022-23 के दौरान वृद्धि		वर्ष 2022-23 के दौरान बंद/निकासी		31 मार्च 2023 को अंतिम शेष	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
159	3,719.86	2	2,283.71	8	2,276.91	153	3,726.66

6.12 आरक्षित निधियों की स्थिति

आरक्षित निधियों का ब्योरा वित्त लेखों की विवरणी 21 तथा 22 में उपलब्ध है। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए 11 आरक्षित निधियाँ रखी गई हैं। इन निधियों में 31 मार्च 2023 के अंत तक कुल संचित शेष ₹ 10,258.96 करोड़ था। इसमें से ₹ 6,554.17 करोड़ ब्याज वाली आरक्षित निधियों के अंतर्गत तथा ₹ 3,704.79 करोड़ बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियों के अंतर्गत था।

6.12.1 ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ

6.12.1(क) राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ.)

राज्य आपदा राहत निधि (मुख्य शीर्ष-'8121 सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों' के अंतर्गत जो कि ब्याज वाले अनुभाग के अंतर्गत आती है) के गठन तथा संचालन पर दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय व राज्य सरकारों को निधि में 75:25 के अनुपात के अनुसार अंशदान देना आवश्यक है। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार के हिस्से के रूप में ₹412.80 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 137.60 करोड़ बनता है। राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत निधि में ₹ 900.00 करोड़ (केंद्रीय भाग ₹ 412.80 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹ 137.60 करोड़, ब्याज ₹ 297.78 करोड़ तथा विभागीय अधिकारियों के पास अव्ययित पड़े ₹ 51.82 करोड़) की राशि हस्तांतरित की गई।

6.12.1(ख) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के अनुपालन में, राज्य सरकारों को क्षतिपूरक वनीकरण करने के लिए उपयोगकर्ता संस्थाओं से प्राप्त धन राशियों के लिए, राज्य के लोक लेखा में ब्याज वाली अनुभाग के अंतर्गत राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि स्थापित करना आवश्यक है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को न तो उपयोगकर्ता संस्थाओं से कोई राशि प्राप्त हुई और न ही इसने राष्ट्रीय निधि को कोई राशि प्रेषित की। सरकार को राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा से भी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। 31 मार्च 2023 को राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि में कुल शेष राशि ₹ 966.41 करोड़ थी।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 तक लोक लेखा में मुख्य शीर्ष - 8121-129 - राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि के तहत निधि में ₹ 167.20 करोड़ (ब्याज ₹ 136.19 करोड़ तथा एच.डी.एफ.सी. बैंक से शेष ₹ 31.01 करोड़) हस्तांतरित किए।

6.12.2 बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ

6.12.2(क) समेकित निक्षेप निधि

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2002 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य गत वर्ष के अंत में अपनी बकाया देयताओं (आंतरिक ऋण तथा लोक लेखा) का न्यूनतम 0.5 *प्रतिशत* अंशदान समेकित निक्षेप निधि में कर सकते हैं। वर्ष 2022-23 में, सरकार ने निधि को किए जाने वाले ₹1,312.31 करोड़ के अंशदान के मुकाबले केवल ₹ 300.00 करोड़ का अंशदान दिया। 31 मार्च 2023 को निधि का कुल अधिशेष ₹ 1,694.47 करोड़ था।

6.12.2(ख) गारंटी मोचन निधि

राज्य सरकार ने आर.बी.आई. के संचालन में गारंटी मोचन निधि का गठन किया था। वर्ष 2020-21 से प्रभावी, राज्य सरकार द्वारा जारी निधि अधिसूचना के नवीनतम संशोधन के अनुसार राज्य सरकार, शुरू में गत वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों का न्यूनतम एक प्रतिशत तथा उसके बाद 0.5 *प्रतिशत* की दर से अंशदान करेगी ताकि अगले पाँच वर्षों में न्यूनतम तीन *प्रतिशत* के बराबर निधि उपलब्ध हो सके। निधि को धीरे-धीरे पाँच *प्रतिशत* के वांछनीय स्तर तक बढ़ाया जाएगा।

31 मार्च 2023 को निधि का कुल अधिशेष ₹ 1,540.86 करोड़ था जो कि 5 *प्रतिशत* के लक्ष्य से ऊपर है।

6.12.2 निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ

हरियाणा में दो निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	निधि का नाम	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	राशि *(₹ करोड़ में)*
1	विकास योजना के लिए निधि	8229	200	1.41
2	हरिजन उत्थान के लिए ग्राम पुनर्निर्माण निधि	8229	200	2.29

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2023

www.cag.gov.in

www.aghry.gov.in